खण्ड-415, अंक-2
मंगलवार, 30 ज्येष्ठ, शक संवत् 1917
(20 जून, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(विशेष सत्र विधान सभा, द्वितीय सत्र 1995)

खण्ड 415 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ग
श्री राज्यपाल के संदेशानुसार तथा सदन की सहमति से श्री बी० आर० वर्मा द्वारा सदन की कार्यवाही का संचालन	1
वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाये जाने विषयक संकल्प की प्रस्तुति हेतु अनुज्ञा की मांग ...	1–5
वर्तमान विधान सभाध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाये जाने विषयक संकल्प पर अनुज्ञा हेतु गणना की मांग	5–9
वर्तमान विधान सभाध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाये जाने के संकल्प का प्रस्तुतीकरण	9–11
वर्तमान विधान सभाध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाये जाने विषयक संकल्प पर मतदान (पारित)	11–17
श्री राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर श्री बी० आर० वर्मा, सदस्य, विधान सभा की नियुक्ति	17
सदन द्वारा मंत्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त किये जाने का प्रस्ताव ...	17–52
सदन द्वारा मंत्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त किये जाने का प्रस्ताव (पारित) ...	52–57
संसदीय परम्पराओं के निर्वहन हेतु श्री राज्यपाल के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत)	57–58
वर्तमान विशेष सत्र के दौरान ग्राह्य किये गये प्रश्नों के सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत न होने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	58–59
वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये कार्य-मंत्रणा समिति एवं अधिष्ठाता मण्डल के पुनर्गठन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	59
सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	59–60
राष्ट्रगान	60

विधान पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड,
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 20 जून, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ	जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
अखिलेश, श्री	महराजगंज	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	जवाहर यादव उर्फ पंडित जी, श्री	इलाहाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
अंशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	धर्मपाल यादव उर्फ	
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर	निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर	पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
करन सिंह, श्री	मुरादाबाद	प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली	बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ	बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़

बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
बालेश्वर यादव, श्री	देवरिया
बेनी प्रसाद, श्री	बाराबंकी
ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महाराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुख्तनाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यश पाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम औतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ बिन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिव सागर लाल, डा०	उन्नाव
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ

श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर	सियाराम सागर, डा०	बरेली
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर	सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया	सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर	सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ	सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ	स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद	हरीश कुमार गंगवार, श्री	बरेली
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली	हरेन्द्र सिंह, ज्ञानी	रामपुर
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर	हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे सभापति श्री बी० आर० वर्मा के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री राज्यपाल के संदेशानुसार तथा सदन की सहमति से श्री बी० आर० वर्मा द्वारा सदन की कार्यवाही का संचालन

श्री सभापति–

माननीय सदस्यगण कल आपने इस सदन की अध्यक्षता करने हेतु आपने जो मुझे अधिकृत किया था उसके अनुसार मैं अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हूं। यदि सदन की अनुमति हो तो मैं सदन की कार्यवाही का संचालन करूं।

(सर्वसम्मति से सदन की अनुमति प्राप्त हुई)

माननीय सदस्यगण, आपकी सहमति से अब मैं सदन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि इस सदन की कार्यवाही का संचालन मैं सदन को प्राप्त सभी अधिकारों एवं शक्तियों के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 175 के खण्ड (2) के अनुसार प्राप्त संदेश के अनुसार भी सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहा हूं।

वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाए जाने विषयक संकल्प की प्रस्तुती हेतु अनुज्ञा की मांग

श्री सभापति–

श्री कल्याण सिंह, श्री राम लखन वर्मा, श्रीमती उर्मिला राजपूत, श्रीमती शशिबाला भारती तथा श्री राम आसरे वर्मा जी अपना संकल्प प्रस्तुत करने की अनुज्ञा मांगें।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं–

"उत्तर प्रदेश 12वीं विधान सभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाया जाय।"

श्री सभापति–

यह संकल्प जिन माननीय सदस्यों का है वह इस संकल्प को लाने के कारणों पर यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं–

"उत्तर प्रदेश 12वीं विधान सभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाया जाय।"

श्री सभापति–

पहले आप संकल्प पर अनुज्ञा मांगें और उसके बाद उसके कारण पर कहेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

संकल्प तो प्रस्तुत कर दिया है । अब उसके कारण पर हम कहना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

व्यवस्था का प्रश्न है कि श्री राम आसरे वर्मा और श्री कल्याण सिंह जी ने अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास के प्रस्ताव की नोटिस दिया है उसमें आप सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री सभापति–

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, संकल्प अनुज्ञा मांगने के लिए रखा है तो पहले सदन की अनुज्ञा मिल जाय तो उसके बाद विचार व्यक्त करने के लिए समय मिलेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

पूर्व अध्यक्ष, श्री धनीराम वर्मा जी ने तकनीकी आधार पर अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस को निरस्त कर दिया है लेकिन उनके खिलाफ श्री कल्याण सिंह द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है । .....

(व्यवधान)

श्री सभापति–

श्री पाल जी, आप बैठ जायें । यह प्रस्ताव नहीं है बल्कि उनके हटाये जाने का संकल्प है । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना आसन ग्रहण करें । (व्यवधान) आपको विचार रखने का मौका मिलेगा लेकिन अनुज्ञा हो जाने के बाद । इसलिए इस समय आप बैठ जायें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अभी जो माननीय जगदम्बिका पाल जी ने सवाल उठाया है, जो पूर्व अध्यक्ष थे (व्यवधान) मेरी नजर में पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने उसको निरस्त कर दिया । जब महामहिम राज्यपाल ने स्वयं उसको संज्ञान में लेते हुए, आज की कार्यसूची रखे जाने के लिए आदेशित किया है और संविधान के अनुच्छेद 175(2) के तहत अपना संदेश–निर्देश दिया है, ऐसी परिस्थिति में जो पाल साहब ने उठाया है, उसका कोई प्रश्न नहीं उठता है, उसका कोई औचित्य नहीं है....(व्यवधान)

* श्री प्रमोद तिवारी–

हमारे इस सम्पूर्ण सदन ने आपको अधिकृत कर उस सम्माननीय आसन पर बिठा दिया और आपने आसन ग्रहण कर एक संकल्प को पढ़ने के लिए पुकार लिया, वह पुरःस्थापित हो गया, राम आसरे वर्मा ने उसे प्रस्तुत कर लिया, तो अब यह प्रश्न कहां उठता है कि किसने क्या कहा ? आपने संकल्प रख दिया है और वह ग्राह्य हो गया है तो अब केवल उस पर चर्चा हो सकती है धनीराम वर्मा के खिलाफ अविश्वास पर चर्चा होगी ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, आप अपनी नियमावली का 271(1) देखें, जिस सदस्य के नाम में संकल्प हो वे संकल्प वापस ले सकेंगे । तो मान्यवर, इसके अलावा अब आपके पास कोई चारा नहीं है, इसमें है कि जिस सदस्य के नाम हो वह उसे वापस ले सकेंगे । इस नियम के आधार पर अब अनुज्ञा मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है । इस सम्बन्ध में राज्यपाल के संदेश के 3(क) की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें है–"अध्यक्ष को हटाने के संकल्प को अग्राह्य नहीं किया जाएगा ।" इसलिए मान्यवर, अब आपको किसी काग्नीजेंश की आवश्यकता नहीं है । कल्याण सिंह जी अनुज्ञा मांगने के लिए खड़े हो गये हैं । इसलिए अब इस पर ही हो । (व्यवधान)

श्री सभापति–

पाल जी आप आसन ग्रहण करें (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरी व्यवस्था के प्रश्न पर पहले आपका जवाब आ जाए ।

श्री सभापति–

आदरणीय पाल जी, राम आसरे वर्मा और माननीय कल्याण सिंह जी के संकल्प के कारण पर आप कुछ कहना चाहते हैं । सिर्फ कारण पर, संकल्प रखने के, लाने के कारण पर आप कुछ विचार रखना चाहते हों तो रखें।

* श्री कल्याण सिंह–

मैंने श्रीमन्, आपकी अनुमति से अपना संकल्प प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अध्यक्ष को हटा दिया जाए । इसमें सीधी-सीधी बात है, धनीराम वर्मा ने सारी लोकतांत्रिक परम्पराओं की हत्या कर दी है, संसदीय मान्यताओं का खुला हनन किया है और संवैधानिक उपक्रमों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है, और यहां तक कि राज्यपाल महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अधीन जो निर्देश दिया था, उन्होंने राज्यपाल के उस निर्देश का भी अपमान कर दिया है, उसकी अवज्ञा कर दी है । उनका यहां पक्षपातपूर्ण रवैय्या रहा है, उन्होंने कभी भी नियमों के अनुसार सदन नहीं चलाया है । अध्यक्ष जी का जो आचरण रहा है उसने सारे संविधान की धज्जियां उखाड़ दी हैं और उन्होंने इस ऊंचे और गरिमामय आसन और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इतने पवित्र आसन पर बैठकर उसको अपमानित किया है उसकी मर्यादा और गरिमा गिराई है। उनका आचरण और संचालन न तो संसदीय परम्पराओं के हित में है और न लोकतंत्र की रक्षा के हित में है। उनके कारण लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। उन्होंने इस सदन को अपमानित किया है और माननीय सदस्यों का भी अपमान किया है।

मोरार जी देसाई जी जैसे लोकतंत्र के मूर्धन्य नेता और उन जैसे अन्य महापुरुषों को हमारे सदन द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने से भी उन्होंने वंचित करने का प्रयास किया है। जो व्यक्ति लोकतंत्र के विरुद्ध आचरण करे, जो संसदीय मान्यताओं का हनन करे, जो व्यक्ति महामहिम राज्यपाल के द्वारा दिये निदेशों की अवमानना करे, अपमान करे, जो अमानदीय व्यवहार करे उसके बने रहते सदन की गरिमा अक्षुण्य नहीं रह सकती। हम चाहते हैं कि अक्षुण्यता बनी रहे। जिस पीठ पर आज आप विराजमान हैं उस पीठ की गरिमा अक्षुण्य बनी रहे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि धनीराम वर्मा ने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में जिस प्रकार से कार्य संचालन इस माननीय सदन का किया है उनके इस आचरण से उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की विधान सभा और उत्तर प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष के पद की गरिमा के गौरव को गिरा दिया है। गली-गली, गांव-गांव उनके आचरण की निन्दा हो रही है। जब हम बाहर निकलते थे तो एक ही सवाल होता था कि सरकार तो गिर गई और नई सरकार मायावती के नेतृत्व में गठित हो गयी, लेकिन अब क्या होगा ? हम बार-बार कहते रहे कि मायावती को प्रचण्ड बहुमत प्राप्त होगा। एक ही सवाल पूछा जाता रहा कि धनीराम का क्या होगा ? वह बेइमानी करेंगे ? बेइमानी का क्या जवाब होगा ? हमने तो इसके लिये नीति तैयार की है। बेइमानी का जवाब ईमानदारी से होगा। कल यह बात साबित हो गई ? कल कैसा आचरण धनीराम वर्मा ने यहां आकर किया है। मेरे पास शब्द नहीं हैं। कटु भर्त्सना में हमको भी व सदन को भी निन्दा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गली-गली, शहर-शहर, बच्चा-बच्चा उनके आचरण की निन्दा कर रहा है।

इस नीति से हम उचित नहीं मानते हैं कि जिस आसन पर राजर्षि पुरुषोत्तम टण्डन जैसे व्यक्ति बैठे हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। सदन क्या सदन का एक भी सदस्य कह दे कि उसे अध्यक्ष पर विश्वास है तो मैं कुर्सी को छोड़ दूंगा ऐसे उनके विचार थे। एक बार हुआ भी ऐसा कि मामूली सी बात पर किसी सदस्य ने कह दिया था कि आपकी व्यवस्था पक्षपातपूर्ण है, वह आसन छोड़ कर चले गये। बड़ी कठिनाइयों के साथ अनुनय विनय, क्षमा याचना करते हुए उन्हें वापस लाया गया। इसी कुर्सी पर बैठकर धनीराम ने सारी मर्यादाओं को, संवैधानिक व लोकतांत्रिक मान्यताओं को तोड़ दिया। इस तरह का आचरण किया जैसे कि सदन उनके घर की सम्पत्ति है और जैसे चाहें वैसे चलायें। मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि अध्यक्ष सदन का नियन्ता नहीं हो सकता। वह सदन की भावनाओं का प्रवक्ता हो सकता है। कोई भी अध्यक्ष सदन का स्वामी नहीं हो सकता, सेवक हो सकता है। श्री धनीराम वर्मा ने सारी पात्रता खो दी। प्रदेश की जनता का विश्वास खो दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे संकल्प उपस्थित करने की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री सभापति–

आप लोग संक्षेप में कारण बतायें । बाद में पूरे विचार रखने का मौका मिलेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप इतना ज्यादा बोल लेते हैं कि दूसरों को जरूरत नहीं है । मान्यवर, आज जिस पद पर आप आसीन हैं उस पीठ पर जो भी व्यक्ति आसीन होगा वह दलगत भावना से ऊपर उठकर आचरण करने के लिये विवश है । मान्यवर, धनीराम वर्मा जी इस पीठ पर आसीन थे और लगभग डेढ़ साल इस आसन पर रहे । डेढ़ साल में उन्होंने जो इतिहास बनाया है वह संसदीय इतिहास में काला धब्बा माना जायेगा । चाहे सदन की कार्यवाही के संचालन के लिये नियमावली की बात हो या संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करना हो, इस सदन में और सदन के बाहर जनता की सेवा के प्रति संकल्प लेते हैं, उनका सवाल हो, उन्होंने इन सब की धज्जियां उड़ाकर रख दी । जो मन में आया उस तरह के आदेश दिये । अखबारों में जब यह निकला कि विधान सभा के कार्य-कलापों के सिलसिले में या उनके अधिकारों के निर्वहन के सिलसिले में राज्यपाल तक को कोई अधिकार नहीं है । महामहिम राज्यपाल तक को चुनौती दे दी । राज्यपाल महोदय जिसमें विधायी शक्तियां निहित होती हैं । संवैधानिक शक्तियों के अनुरूप राज्यपाल महोदय को श्री धनीराम वर्मा पर अंकुश लगाने की शक्ति निहित है उसकी मिसाल कल देखने को मिली । राज्यपाल महोदय को संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अन्तर्गत संदेश भेजना पड़ा उसकी अवहेलना करके श्री धनीराम वर्मा उठकर चले गये ।

वह संसदीय मूल्यों की हत्या के दोषी हैं, अफसोस तो तब हुआ जब उन्होंने नैतिक मूल्यों को नकारने का काम कर दिया । कल की कार्यसूची में निधन के निदेश होने थे । "संस्कृति और सभ्यता" जो हमारे देश का आधार है उसको कल निभाने का प्रयास नहीं किया गया, इस कुर्सी से इस तरह का आचरण किया गया । श्रीमन्, कल एक सदस्य ने कहा कि "पार्टी के पांच रुपये की सदस्य की हैसियत से" लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक सदस्य की हैसियत जैसा भी उनका आचरण नहीं था, एक व्यक्ति की तरह भी उनका आचरण नहीं था जिसने नैतिक मूल्यों के अनुरूप संविधान के अनुरूप आचरण नहीं किया, आज हमने ऐसे व्यक्ति को हटाने का प्रस्ताव किया है उत्तर प्रदेश की बारहवीं विधान सभा के अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए सदन की अनुज्ञा दी जाए ।

श्री सभापति–

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों वह खड़े हो जाएं ।

वर्तमान विधान सभाध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाए जाने विषयक संकल्प पर अनुज्ञा हेतु गणना की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसकी गणना की जाए ।

श्री कल्याण सिंह–

इसकी गणना करा लीजिए ।

श्री राम आसरे वर्मा–

सर्वसम्मति से अनुज्ञा की अनुमति मिली है गणना की मांग पर गणना की जाती है।

श्री सभापति–

माननीय वर्मा जी, आप विद्वान सदस्य हैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, गणना आवश्यक है।

श्री राम आसरे वर्मा–

जहां सदन की सर्वसम्मति हो वहां गणना नहीं होती।

श्री सभापति–

गणना कराई जाए।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री सभापति–

गणना में कौन सा व्यवस्था का सवाल है।

* श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री अध्यक्ष को हटाए जाने का जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है। इस संकल्प की अनुज्ञा देने के लिए कम से कम 85 सदस्यों का खड़े होना आवश्यक है। इस समय आप स्वयं देख रहे हैं कि पूरा सदन खड़ा हुआ है। अर्थात् 85 सदस्यों की संख्या की जो अनिवार्यता है उससे ज्यादा लोग खड़े हैं। इसलिए मान्यवर, इस प्रश्न पर गणना न कराने की कृपा करें। आप संतुष्ट हो लें कि 85 सदस्यों से ज्यादा सदस्य खड़े हैं। जब यह संकल्प पास होने के लिए रखें उस समय गणना करा लें।

श्री सभापति–

सदस्यों की संख्या 85 से कितनी ज्यादा है एक स्पेशफिक संख्या तो आ जानी चाहिए। गणना की जाए।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप सदन का बटवारा करने का काम न करें। एक असंसदीय परम्परा डालने का काम मत करें।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, अनुज्ञा के लिए 1/5 सदस्यों की आवश्यकता होती है जबकि इस समय पूरा सदन आपके सामने खड़ा है। सदस्यों की संख्या को आज की उपस्थिति की संख्या मान ली जाए। क्योंकि सभी सदस्य खड़े हो गए हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सभापति–

इस समय अनुज्ञा देने के प्रश्न पर 85 ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण सदन खड़ा हुआ है इसलिए अनुज्ञा दी जाती है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अनुज्ञा के प्रश्न पर सम्पूर्ण सदन खड़ा हुआ है और सम्पूर्ण सदन अनुज्ञा का पक्षधर है, इसलिए सदन का बंटवारा मत कीजिए । बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जबकि पूरा सदन किसी प्रस्ताव पर एक मत होता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से श्री राम आसरे वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि वह इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य है । मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि सर्वसम्मति से लिखा जाए । इसमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन नियम यह है कि अगर कोरम कम्पलीट हो, अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हों, तो सदन इन-आर्डर हो गया । अगर आज पूरे सदन की संख्या मात्रा 85 होती तो भी अनुज्ञा मिल गयी थी ।

मान्यवर, यदि प्रोसीडिंग में केवल सर्वसम्मति से लिखा जायगा तो कल प्रदेश की जनता समझेगी कि हो सकता है कि 86 सदस्य हों । आज ऐसी परिस्थिति है कि प्रदेश की जनता को पता लगना चाहिये कि इसकी अनुज्ञा के लिये कितने सदस्य खड़े हुये थे 85 थे या 300 थे । सर्वसम्मति लिखने से संख्या का पता नहीं चलेगा इसलिये संख्या होना जरूरी है । आपके मिनिट्स में लिखा जायगा कि अनुज्ञा देने के पक्ष में कितने लोग खड़े हुये, 85 से अधिक 86 भी होते हैं और 375 भी होते हैं । इसलिए मैंने कहा था कि जो भावनायें सदस्यों ने व्यक्त की हैं, धनीराम वर्मा जी ने जो मर्यादा का हनन किया है और जन भावनाओं की हत्या की है उसके बारे में प्रदेश की जनता जान ले कि इतने सदस्यों ने खड़े होकर संकल्प के पक्ष में अनुज्ञा दी । इसलिये मैंने गणना का सुझाव दिया है । माननीय कल्याण सिंह ने जो सुझाव दिया है मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि आप संकल्प के पक्ष में खड़े होने वाले माननीय सदस्यों की संख्या ले लें । संख्या लेना आवश्यक है ताकि प्रदेश की जनता जान सके कि इतने भारी प्रचण्ड बहुमत से श्री धनीराम वर्मा को अध्यक्ष पद से हटाने के संबंध में अनुज्ञा दी गयी । (मेजों की थपथपाहट ।)

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आप नियम 271(2) को देख लें । "अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, अपने-अपने स्थानों में खड़े होने के लिए कहेंगे । यदि तत्समय सदन के सदस्यों के पंचमांश से न्यून सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी प्रस्तावक को सूचित करेंगे कि उसे संकल्प करने के लिए सदन की अनुज्ञा नहीं है ।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आपने आदेश दिया हम लोग खड़े हो गये । जो खड़े हुये उनकी संख्या 85 है या कम है या अधिक है उसको सुनिश्चित करना आवश्यक है । इसलिये यह संदेश जनता तक जाना चाहिये कि इस संकल्प पर केवल 85 सदस्य पक्ष में थे या पूरा सदन इसके पक्ष में था या सारे लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में थे । इसलिए मान्यवर, आप गणना करवा लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय नेता कांग्रेस भी मेरे सुझाव से सहमत हैं ।

श्री सभापति–

माननीय तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री मान्यवर, ा पाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सभापति–

माननीय पाल साहब, आप बैठ जायं, आप जो कहना चाहेंगे, मैं सुन लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, कदाचित दोनों बातें सही हैं । जब यहां संकल्प प्रस्तुत किया जायगा तो नियमानुसार किया जायगा । अब संकल्प आया है तो यह आवश्यक है कि इस सदन के 1/5 सदस्य खड़े होकर समर्थन करें । अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो अनियमित होगा । आपने यह किया है इसलिए यह उचित है । दूसरी बात वर्मा जी ने कही है वह अपने स्थान पर उचित है । लेकिन यह संदेश जाना चाहिए कि कितने लोग इस संकल्प के पक्ष में हैं, 85 से ज्यादा सदस्य खड़े हो गये और सभी ने इस संकल्प का समर्थन सर्वसम्मति से किया है । अब अगर दोनों बातें आ जायं तो ज्यादा उचित होगा । मान्यवर, इसलिए खड़े होकर गणना कराना उचित होगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 271 (2) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । उसमें है कि अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, अपने-अपने स्थानों में खड़े होने के लिए कहेंगे ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है, केवल भावनाओं से नहीं चलता है । कल्याण सिंह जी ने कहा कि गणना की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सभापति–

मैं गणना कराने जा रहा हूं । जो माननीय सदस्य पक्ष में हों वह अपने आसन पर खड़े हो जायें ।

(माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

सचिव, तुरन्त गणना करा लें।

(गणना की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई)

(गणना के मध्य कुछ माननीय सदस्यों द्वारा आपस में बातचीत करने पर)

माननीय सदस्यगण, इतने गम्भीर विषय पर शान्ति का परिचय दें, काफी गम्भीर विषय चर्चा के लिए आप लोग अनुज्ञा देने जा रहे हैं। चूंकि अनुज्ञा के पक्ष में सदन में उपस्थित सभी 279 सदस्य (मा० नेता सदन और महाधिवक्ता जो सदन में उपस्थित हैं, को छोड़कर) खड़े हुए हैं, जो विधान सभा के इस समय सदस्य संख्या के पंचमांश से अधिक हैं। अतः नियमानुसार सर्वसम्मति से सदन की अनुज्ञा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए दी गयी है।

वर्तमान विधान सभाध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाये जाने के संकल्प का प्रस्तुतीकरण

* श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं –

"उत्तर प्रदेश 12वीं विधान सभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाया जाय।"

मान्यवर, इस संकल्प को प्रस्तुत करने के पीछे जो कारण थे उनका संक्षेप में मैंने उल्लेख कर दिया है। उन कारणों के साथ मैं संकल्प को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन कारणों को दोहराना नहीं चाहूंगा। दूसरे कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं भी संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं।

"उत्तर प्रदेश 12वीं विधान सभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाया जाय।"

मान्यवर, अनुज्ञा मांगते समय मैंने विचार व्यक्त कर दिये थे और उन विचारों को इस प्रस्ताव को रखते हुए फिर दोहराना नहीं चाहूंगा। आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा यह संकल्प विचारार्थ सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं मा० राम आसरे वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का समर्थन करता हूं और प्रार्थना भी सदन से करता हूं कि उ० प्र० विधान सभा के लोकतान्त्रिक इतिहास में यह अनोखी घटना है। अध्यक्ष के खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव बहुत आये हैं पर पारित होने की बात आयी तो हटाया कोई नहीं गया। हटाने का प्रस्ताव पहली बार आया है। लोकतन्त्र की यह दुःखद घटना है। संविधान निर्माताओं ने यह प्राविधान किया था कि जब सूचना दी जाये तो 14 दिन का समय निश्चित कर दिया जाय। कदाचित 14 दिन का समय इसलिए निश्चित किया गया कि कोई तत्काल आवश्यक कारण यदि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अविश्वास का संकल्प प्रस्तुत करने के लिए था तो 14 दिन इसे विचार करने के लिए मिले । मैं यह कह सकता हूं कि 14-15 दिन जो इसे विचार करने के लिए मिले, उस कारण पर बल देने के तमाम और कारण नित्य प्रतिदिन बनते चले गये । मैं सम्पूर्ण सदन से प्रार्थना करूंगा कि उस पीठ की बड़ी गरिमा होती है । कल जो व्यक्ति उस पीठ पर बैठा था, हमारा संरक्षक था, अभिभावक था । इस सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित व्यक्ति था । इसलिए ज्यादा भाषण न दें, ज्यादा विवाद न करें, उस पीठ पर बैठे व्यक्ति के लिए ज्यादा टिप्पणी न करें, मात्र उस संकल्प को पारित करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर लें । ऐसी अशोभनीय टिप्पणी उनके चरित्र या व्यवहार के बारे में कहने पर, हम उस पीठ की ही नहीं, बल्कि इस सदन में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, जो कार्यवाही का अंग न बने तो उचित होगा । श्री राम आसरे वर्मा द्वारा जो श्री धनीराम वर्मा के विरुद्ध संकल्प लाया गया है हटाने का, उसका अपनी ओर से और अपने दल की ओर से समर्थन करता हूं ।

श्री सभापति–

कल जब आप लोग प्रस्ताव रखे थे तो उस समय इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी थी इसलिए आप सब लोगों की सहमति से मतगणना आरम्भ करवाता हूं ।

(व्यवधान)

आप लोग कृपया शान्ति बनाये रखें । इस पर कल बहुत से सदस्य बोल चुके हैं और इसमें काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है । यदि आप लोगों की राय हो तो जिनका संकल्प है केवल उन माननीय सदस्यों को सुन लूं ।

* श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपकी जो भी व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य होगी । महामहिम श्री राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 175 (2) के अनुसार विधान सभा अध्यक्ष को सन्देश भेजा है कृपया उसके 3 (ख) को देखने का कष्ट करें । मत विभाजन द्वारा, न कि किसी अन्य रीति से, लिये जायेंगे और लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे और सदस्यों के हस्ताक्षर सम्यक् रूप से सत्यापित किये जायेंगे । आप चाहते तो हां या नहीं कहलवाकर करा सकते थे या फिर हाथ उठाकर करवा सकते थे लेकिन महामहिम श्री राज्यपाल के सन्देश के अनुसार ऐसा करना उनके निर्देशों के विपरीत होगा । इसलिए मतदान द्वारा ही इसको करवायें । यह ठीक है कि यहां पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ लेकिन हमें उनके आदेशों का भी पालन करना होगा ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न सुन लें । आप उस पीठ पर बैठे हुए हैं । आज एक प्रस्ताव आया है और उस पर सभी सदस्यों ने एक समवेत स्वर में अनुज्ञा मांगी है और आपने कृपापूर्वक अनुज्ञा भी दे दी और अब उस पर मतदान भी होने जा रहा है तो मान्यवर, आने वाले दिनों में इतिहास में अगर हम बिना किसी कारणों का उल्लेख करते हुए उसे पारित कर देंगे तो उचित नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री सभापति–

यह आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसमें कहां से व्यवस्था पैदा हो गयी है ? आप कृपया बैठ जायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है ?

श्री सभापति–

हां कहें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, चूंकि मैंने संकल्प विचारार्थ प्रस्तुत किया है और पाल जी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाये और यह कहा कि कारण दर्शाये जाने चाहिए। मैंने पहले ही कारणों का उल्लेख कर दिया और माननीय कल्याण सिंह जी ने भी कारणों का उल्लेख कर दिया। इसके अतिरिक्त कल जो भी विचार इस संबंध में व्यक्त किये गये, उनको भी आपने संलग्न कर दिया है, इस तरह कारण स्वयं में पर्याप्त हैं, ऐसी स्थिति में कारण दर्शाने की बात जो उठायी गयी है, उसमें कोई बल नहीं है, आप आगे की कार्यवाही करें।

वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाये जाने के संकल्प पर मतदान

श्री सभापति–

माननीय सदस्यगण, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग शान्तिपूर्वक मतदान की जो प्रक्रिया लाबी डिवीजन तय की गयी है, उसको आप लोग सुन लें।

सदन के सभा कक्षों (लाबीज) में जाकर लिखित विभाजन की प्रक्रिया के बारे में मैं आप सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा।

सदन की "हां" व "नहीं" लाबी में विभाजन सूची रखी गयी है, उस पर माननीय सदस्यगण अपने नाम के सामने स्पष्ट हस्ताक्षर करेंगे और उसके आधार पर मत विभाजन होगा। संकल्प के पक्ष में मत देने वाले माननीय सदस्य "हां" लाबी में जाकर विभाजन सूची में हस्ताक्षर करके अपना मत अंकित करेंगे और उसी के विरोध में मत देने वाले माननीय सदस्य "नहीं" लाबी में जाकर मत विभाजन सूची में अपने हस्ताक्षर करके अपना मत अंकित करेंगे।

विभाजन के पूर्व ऐसे सभी व्यक्ति, जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं (मंत्रि-परिषद् के सदस्यों एवं महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश को छोड़कर) सभा मण्डप एवं उसकी दोनों लाबियों से बाहर चले जायेंगे।

सभा मण्डप में एवं उनकी दोनों लाबियों में विधान सभा सचिवालय के वही अधिकारी/कर्मचारी विभाजन के समय रह सकेंगे जिनकी सदन के कार्य हेतु ड्यूटी लगायी गयी है। मत विभाजन के लिए 5 मिनट तक घण्टी बजायी जायेगी, तत्पश्चात् विचाराधीन संकल्प के पक्ष में जो माननीय सदस्य मतदान करना चाहें, वह कृपया हमारे दायी एवं बायी ओर की "हां" एवं "नहीं" लाबी में जायेंगे और पहले बतलायी गयी रीति के अनुसार विभाजन सूची में अपने नाम के सामने स्पष्ट हस्ताक्षर करके पुनः सदन में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दोनों सदनों में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी विभाजन सूची पर हस्ताक्षर करने वाले माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर को सत्यापित करेंगे। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह लाबी में तैनात अधिकारियों को अपना परिचय-पत्र अवश्य दिखला दें। यदि वह अपना परिचय-पत्र लाना भूल गये हों तो अपने परिचय का समाधान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को अवश्य करा दें, ताकि उनके हस्ताक्षर को सत्यापित करने में कोई असुविधा न हो सके। जो माननीय सदस्य लाबियों में अपने हस्ताक्षर कर लें, वह पुनः सदन में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें और दूसरे लाबी में कदापि न जायें। सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह लाबियों में मत विभाजन को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। मत विभाजन की प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व सभा मण्डप के सभी प्रवेश द्वार तब तक के लिए बन्द कर दिये जायेंगे जब तक मत विभाजन के परिणाम न घोषित कर दिये जायें।

मत विभाजन की घण्टी बजायी जाये । सभा मण्डप के सभी प्रवेश द्वार मत विभाजन के परिणाम घोषित होने तक बन्द कर दिये जायें ।

अब मैं पूर्व घोषित प्रक्रिया के तहत मत विभाजन का कार्य आरम्भ करता हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश की बारहवीं विधान सभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाया जाये ? अब जो माननीय सदस्य संकल्प के पक्ष में हों वह "हां" लाबी में तथा जो माननीय सदस्य संकल्प के विरोध में हों वह "नहीं" लाबी में जाकर उक्त रीति से अभी बतायी गयी प्रक्रिया से मत व्यक्त करें । दरवाजे बन्द कर दिये जायं ।

(दरवाजे बन्द कर दिये गये)

(समय 12 बजकर 5 मिनट)

माननीय सदस्य कृपया सुविधानुसार लाबी में मत देने हेतु जायं । जो आदरणीय सदस्य अपना मत लाबियों में जाकर हस्ताक्षर करके नहीं दिये हैं उनसे अनुरोध है कि वह जा करके अपना मत हस्ताक्षर करके दें । मत विभाजन का कार्य पूरा हो गया है । इस आदरणीय सदन की इस उच्च पीठ की गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं अपना मत नहीं दे रहा हूं । मतगणना की जा रही है । मत विभाजन के परिणाम की प्रतीक्षा माननीय सदस्यगण शान्तिपूर्वक करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, वर्मा ने वर्मा के खिलाफ वोट नहीं दिया । श्री राम आसरे वर्मा, श्री धनीराम वर्मा जैसे वर्मा नहीं हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

धनीराम वर्मा वैसे ही राम आसरे वर्मा । आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, सब एक ही चीज हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, तिवारी जी जो तीन वारों के बीच में है । यहां पर भी वह आज तीन वर्माओं के बीच में फंसे हैं ।

(डा० सरजीत सिंह डंग)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, डा० सरजीत सिंह डंग बीच में कुछ कहने के लिए खड़े हुए थे । उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं सुन पाया । मेरा आपसे निवेदन है कि समय का ध्यान रखते हुए उनको क्षमा कर दें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, हमारे साथ तो 24 घण्टे में दो बार होता है परन्तु श्री तिवारी जी के साथ तो ऐसा लगता है कि 24 घण्टे में 24 बार ये रांची से अभी-अभी लौटकर आये हों ।

श्री सभापति–

माननीय सदस्यगण शान्ति से प्रतीक्षा करें । अब मैं संकल्प के पक्ष और विपक्ष में मत देने वाले

संकल्प के पक्ष में–279

सदस्यों का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं :–

1–अंगद यादव, श्री
2–अकबर अली, श्री
3–अक्षयवर लाल, श्री
4–अखिलेश कुमार सिंह, श्री
5–अक्षयवर भारती, श्री
6–अजय कुमार पोइया, श्री
7–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री
8–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री
9–अमरनाथ यादव, श्री
10–अमित अग्रवाल, श्री
11–अम्बिका सिंह, श्री (गोरखपुर)
12–अम्बिका सिंह, श्री (देवरिया)
13–अरविन्द कुमार, श्री
14–अवध पाल सिंह यादव, श्री
15–अवनीश कुमार सिंह, श्री
16–आनन्द यादव, श्री
17–आर० के० चौधरी, श्री
18–इन्द्र देव सिंह, श्री
19–इन्द्र भद्र सिंह, श्री
20–इरशाद, श्री
21–इश्तियाक अंसारी, श्री
22–उदय प्रकाश, श्री
23–उदय भान सिंह, श्री
24–उपदेश सिंह चौहान, श्री
25–उर्मिला राजपूत, श्रीमती
26–ऊदल, श्री
27–ओंकार सिंह, श्री
28–ओम प्रकाश सिंह, श्री
29–कल्याण सिंह, श्री
30–कामेश्वर उपाध्याय, श्री
31–किरन पाल सिंह, श्री
32–किशन लाल, श्री
33–किशन लाल दिलेर, श्री
34–कृष्ण कुमार नवमान, श्री
35–कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री
36–केदार सिंह फोनिया, श्री
37–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
38–कोकब हमीद, श्री
39–गजराज सिंह, श्री
40–गनपत सिंह, श्री
41–गया चरण दिनकर, श्री
42–गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री
43–गोपाल काली, श्री
44–गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री
45–घनश्याम शुक्ल, श्री
46–घूरा राम, श्री
47–चन्द्र किशोर, श्री
48–चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू, श्री
49–चन्द्र मणि कान्त, श्री
50–चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री
51–चन्द्र शेखर, श्री
52–चन्द्र शेखर सिंह, श्री
53–चरन सिंह, श्री
54–चेतराम, श्री
55–चैनसुख भारती, श्री
56–छब्बू पटेल, श्री
57–छोटे लाल, श्री
58–छोटे लाल वर्मा, श्री
59–जगत सिंह, श्री
60–जगदम्बा सिंह, श्री
61–जगदम्बिका पाल, श्री
62–जगदीश मुनि, श्री
63–जगन्नाथ प्रसाद, श्री
64–जगरनाथ चौधरी, श्री
65–जगवीर सिंह, श्री
66–जमुना प्रसाद मिश्र, श्री
67–जयपाल सिंह, श्री
68–जय प्रताप सिंह, श्री
69–जयराम कुशवाहा, श्री
70–जवाहर लाल दिवाकर, श्री

71–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री
72–ज्योत्सना, श्रीमती
73–तिलक राज बेहड़, श्री
74–तीरथ राज, श्री
75–तुलसीदास राय चन्दानी, श्री
76–तुलाराम सैनी, श्री
77–तेजपाल सिंह, श्री (बिजनौर)
78–तेजपाँल सिंह पंवार, श्री
79–तेज भान सिंह, श्री
80–त्रिपाल सिंह, श्री
81–दया सिन्धु शंखधार, श्री
82–दल बहादुर कोरी, श्री
83–दीनानाथ भाष्कर, श्री
84–देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री
85–दौलत राम, श्री
86–धनराज यादव, श्री
87–धामू राम भाष्कर, श्री
88–धूराम चौधरी, श्री
89–नजमउद्दीन, श्री
90–नन्द किशोर मिश्र, श्री
91–नन्द लाल सिंह पटेल, एडवोकेट, श्री
92–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०
93–नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
94–नरेन्द्र सिंह, श्री (मैनपुरी)
95–नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री
96–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री
97–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री
98–नरेश अग्रवाल, श्री
99–नवल किशोर, श्री
100–नसीम भाई, श्री
101–निर्भय पाल शर्मा, श्री
102–नीरज चतुर्वेदी, श्री
103–पीतम सिंह, श्री
104–पृथ्वी सिंह विकसित, श्री
105–प्रणत पाल सिंह, श्री
106–प्रमोद तिवारी, श्री
107–प्रवीण सिंह ऐरन, श्री
108–प्रीतम सिंह, श्री (देहरादून)
109–प्रीतम सिंह, श्री (मुरादाबाद)
110–प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री
111–प्रेम लता कटियार, श्रीमती
112–प्रेम सिंह, श्री
113–फजलुर्रहमान अंसारी, श्री
114–फौजदार प्रसाद, श्री
115–बंशीधर, श्री
116–बचनू राम पटेल, श्री
117–बच्ची सिंह रावत, श्री
118–बच्चा पाठक, श्री
119–बदन सिंह, श्री
120–बनवारी लाल दोहरे, श्री
121–बशीर उद्दीन, श्री
122–बाबू लाल, श्री
123–बाल गोविन्द राजवंशी, श्री
124–बाल चन्द्र मिश्र, श्री
125–बालेश्वर त्यागी, श्री
126–बावन सिंह, श्री
127–बिहारी लाल आर्य, श्री
128–बी० के० गुप्ता, श्री
129–बेचन राम, श्री
130–बैजनाथ रावत, श्री
131–ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
132–भगवत शरण गंगवार, श्री
133–भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
134–भगवती प्रसाद सागर, श्री
135–भगेलू राम, श्री
136–भागवत पाल, श्री
137–भैरो प्रसाद मिश्र, श्री
138–रंगनाथ मिश्र, श्री
139–रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, कुंवर

140–रणजीत सिंह जूदेव, श्री
141–रणधीर सिंह, श्री
142–रतन लाल अहिरवार, श्री
143–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री
144–रमापति शास्त्री, श्री
145–रमेश कान्त लवानियां, श्री
146–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०
147–रमेश बहादुर, श्री
148–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर
149–रवीन्द्र प्रताप चौधरी
उर्फ पप्पू चौधरी, श्री
150–रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री
151–रवीन्द्र शुक्ल, श्री
152–राकेश सोनकर, श्री
153–राजकुमार शिवहरे, श्री
154–राजबली जैसल, श्री
155–राजबली यादव, श्री
156–राज लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती
157–राजवीर सिंह, श्री
158–राजा राम त्यागी, श्री
159–राजीव कुमार, श्री
160–राजेन्द्र कुमार, श्री
161–राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
162–राजेन्द्र सिंह, श्री (देहरादून)
163–राजेन्द्र सिंह, श्री (बिजनौर)
164–राजेश अग्रवाल, श्री
165–राजेश कुमार, श्री
166–राधेश्याम गुप्ता, श्री
167–रानी देव लता, श्रीमती
168–राम अचल राजभर, श्री
169–राम आसरे वर्मा, श्री
170–राम किशोर बिन्द, श्री
171–राम कुमार वर्मा, श्री
172–राम कुमार शुक्ल, श्री
173–राम कृष्ण वर्मा, इंजी०
174–राम खेलावन, श्री
175–राम गोपाल, श्री
176–राम जीत भारद्वाज, श्री
177–राम दवर, श्री
178–राम देव पटेल, श्री
179–राम पाल सिंह, श्री
180–राम प्रकाश, श्री
181–राम प्रकाश गुप्त, श्री
182–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
183–राम प्रताप सिंह, श्री
184–राम प्रसाद टम्टा, श्री
185–राम प्रसाद, श्री (बुलन्दशहर)
186–राम बाबू हरित, डा०
187–राम लखन वर्मा, श्री
188–राम लोटन सिंह पटेल, इन्जी०
189–राम विशुन आजाद, श्री
190–राम सजीवन निर्मल, श्री
191–राम सरन वर्मा, श्री
192–राम सिंह, श्री
193–राम सेवक सिंह, श्री (इलाहाबाद)
194–राम सेवक सिंह, श्री (बदायूं)
195–राम स्वरूप, श्री
196–राम स्वरूप शर्मा, स्वामी
197–रेखा छागला, श्रीमती
198–मण्डलेश्वर सिंह, श्री
199–मन्नू लाल कुरील, श्री
200–मयंकर सिंह, श्री
201–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री
202–महाबीर सिंह, कुंवर
203–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री
204–महेन्द्र पाल सिंह, श्री
205–महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
206–महेन्द्र सिंह माहरा, श्री (महू भाई)
207–महेश चन्द्र, श्री
208–मातवर सिंह कण्डारी, श्री
209–माम चन्द्र लाम्बा उर्फ मेमचन्द्र, डा०
210–माया शंकर पाठक, श्री

211–मारकण्डेय सिंह, श्री
212–मुनीश गौड़, श्री
213–मुरलीधर, श्री
214–मेवा लाल बागी, श्री
215–मोलई, श्री
216–मोहर सिंह, श्री
217–यश पाल आर्य, श्री
218–यशपाल सिंह चौधरी, श्री
219–योगेन्द्र कुमार सागर, श्री
220–लक्ष्मी चन्द्र, श्री
221–लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरू जी, श्री
222–लल्लू सिंह, श्री
223–लाज़ कृष्ण गांधी, श्री
224–लालजी, श्री
225–लालजी यादव उर्फ जोगी, श्री
226–लालमणि प्रसाद, श्री
227–वासुदेव सिंह, श्री
228–विक्रम सिंह, श्री
229–विजेन्द्र सिंह, श्री
230–विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री
231–विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री
232–विश्वम्भर सिंह, श्री
233–वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री
234–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री
235–शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती
236–शशि बाला भारती, श्रीमती
237–शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
238–शिव दानी, श्री
239–शिव प्रताप शुक्ला, श्री
240–शिव बहादुर सक्सेना, श्री
241–शिव राम सिंह कुशवाहा, श्री
242–शिवेन्द्र, श्री
243–शूरवीर सिंह सजवाण, श्री
244–श्याम देव राय चौधरी, श्री
245–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री
246–श्रीराम पाल, श्री
247–श्रीराम, श्री
248–संदीप अग्रवाल, श्री
249–सज्जन पाल सह उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री
250–सतीश महाना, श्री
251–सत्य प्रकाश, श्री
252–सत्य प्रकाश विकल, श्री
253–सत्येन्द्र सिंह, श्री
254–सफदर रजा खां, श्री
255–समई, श्री
256–सरजीत सिंह डंग, डा०
257–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री
258–सुखदेव, श्री
259–सुधीर कुमार बालियान, श्री
260–सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
261–सुन्दर लाल लोधी, श्री
262–सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री
263–सुरेश कुमार खन्ना, श्री
264–सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री
265–सुरेश प्रताप सिंह चौहान, डा०
266–सुरेश संगल, श्री
267–सुशीला सरोज, श्रीमती
268–सूरज सिंह शाक्य, श्री
269–स्वयंवर चौधरी, श्री
270–हरक सिंह रावत, श्री
271–हरपाल सिंह, श्री
272–हरवंश कपूर, श्री
273–हरिशंकर तिवारी, श्री
274–हरी किशन, श्री
275–हरी शंकर माहौर, श्री
276–हरेन्द्र सिंह, श्री
277–हीरा मनि पटेल, श्री
278–हृदय नारायण, श्री
279–फ्रेन्सिस डब्लू मूर, श्री (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)

संकल्प के विपक्ष में = * शून्य

*नोट :– समाजवादी पार्टी के कतिपय सदस्यों को छोड़कर अधिकांश सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया ।

श्री सभापति–

माननीय सदस्यगण संकल्प के पक्ष में 279 मत पड़े और संकल्प के विरोध में शून्य मत पड़े। संकल्प के पक्ष में सभी मत पड़े। इस समय सदन में कुल सदस्यों की संख्या 425 है, अतएव विधान सभा के वर्तमान अध्यक्ष, श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाये जाने का संकल्प संविधान के अनुच्छेद 179 के खण्ड (ग) के अनुसार सदन में इस समय उपस्थित सभी सदस्यों के बहुमत से पारित हुआ।

अतः श्री धनीराम वर्मा, अध्यक्ष विधान सभा के पद से हटाये गये।

इस समय 12.50 हुआ है अब हम 1.50 पर पुनः बैठेंगे।

(इस समय श्री सभापति ने 12 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 50 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक 1 बजकर 50 मिनट पर पुनः आरम्भ होने पर सचिव, विधान सभा ने श्री राज्यपाल के सन्देश को पढ़कर सुनाया।)

श्री राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर श्री बी० आर० वर्मा, सदस्य, विधान सभा की नियुक्ति

सचिव, विधान सभा–

महामहिम राज्यपाल महोदय से एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं–

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मैं, मोती लाल वोरा, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्री बी० आर० वर्मा को, जो विधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, उस समय तक के लिये, जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 178 के उपबन्धों के अनुसार विधान सभा द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन न कर दिया जाय, अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता हूं।

ह०–

दिनांकः 20 जून, 1995 (मोती लाल वोरा)

राज्यपाल,

उत्तर प्रदेश।

(तालियों की आवाजें)

अब मैं माननीय बी० आर० वर्मा, सदस्य, विधान सभा से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया आसन ग्रहण करें।

(मार्शल, कृपया श्री बी० आर० वर्मा को ससम्मान बुलाकर ले आयें)

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर कार्यवाहक अध्यक्ष श्री बी० आर० वर्मा पीठासीन हुये ।)

(तालियों की आवाजें)

सदन द्वारा मंत्रि परिषद् में विश्वास व्यक्त किये जाने का प्रस्ताव

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीया मुख्य मंत्री जी, आप प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन मंत्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप इस पर विचार रखना चाहें तो रख सकती हैं ।

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं सोचती हूं कि पहले दूसरे दलों के सम्मानित नेतागण बोल ले तब बाद में मैं अपने विचार रखना चाहूंगी ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैं चाहता हूं कि पहले माननीय सदस्य यदि बोलना चाहें तो वह बोल लें फिर नेतागण, नेता सदन अपने विचार रख देगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं चाहूंगा कि श्री कल्याण सिंह पहले अपने विचार रख दें ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं और मेरा दल सुश्री मायावती, वर्तमान सरकार, का समर्थक और सहयोगी दल है । इसलिये अच्छा होगा कि पहले बाकी दलों के माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं वह बोल लें और बाद में हम अपने दल के विचार रख देंगे ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब जो माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं वह रखें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इस प्रदेश में जंगल राज्य कायम था, गुण्डागर्दी का आलम इतना छाया हुआ था कि लोग त्रस्त थे और एक शब्द में हमें कहें तो यह अतिशयोक्ति न होगी कि उत्तर प्रदेश की धरती पर मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में फासिस्ट राज कायम था। उस फासिस्ट राज से मुक्ति मिली और इसके लिए बसपा ने पहल की, इसके लिए मैं बधाई देता हूं, अपनी ओर से और अपने दल की ओर से, और अभिनन्दन करता हूं माननीय कांसीराम जी का, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की धरती को उससे मुक्त कराने में एक ऐतिहासिक योगदान दिया है। इस तथ्य में कोई शक नहीं कि "व्यवधान" उत्तर प्रदेश की धरती पर एक नया इतिहास रचा गया। सुश्री मायावती के रूप में दलित और महिला उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री की कुर्सी पर आसीन हुई–एक इतिहास बना। इस कुर्सी पर उनके आसीन होने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं।

इस ऐतिहासिक कार्य में हमने अपनी ओर से समर्थन भी व्यक्त किया है और सहयोग का भी आश्वासन दिया है। इस घड़ी मुझे याद आती है दो जून की शर्मनाक घटना–जिस समय स्टेट गेस्ट हाउस में जो ताण्डव नृत्य हो रहा था गुण्डागर्दी का और यह एक आशंका पैदा हो गई थी कि जिनके हाथों में उत्तर प्रदेश की बागडोर आनी है, उनका जीवन सुरक्षित रहेगा या नहीं। इस तरह की एक आशंका पैदा हो गई थी। उस क्षण भी हमने उन्हें हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया और यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी दलित महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता दल के सिपाही सड़कों पर निकलेंगे। हमने यह भी कहा था कि स्टेट गेस्ट हाउस से उत्तर प्रदेश विधान सभा तक जनता दल के हमारे कार्यकर्ता सुश्री मायावती की सुरक्षा की गारन्टी लेंगे और हमारे कुछ कार्यकर्ता आए भी "व्यवधान" सदन के बाहर। कल से सदन चल रहा है, हमने हर तरह से सहयोग दिया और आज भी हम उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। हम सहयोग देना चाहते हैं, इसलिए देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर एक नया इतिहास रचा गया, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं "व्यवधान" आज भी हम आश्वस्त करते हैं कि हर संकट की घड़ी में मायावती जी का साथ देने के लिए। इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं, लेकिन आज संकट की घड़ी नहीं है। जिनके साथ मोर्चा था, मोर्चा छोड़कर सदन से भाग चुके हैं।

आज संकट की घड़ी नहीं, और दूसरी बात मान्यवर, हमारे भाई बहुत चिल्ला रहे हैं....

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में जलते देखा है। बाबरी मस्जिद को ढहते देखा बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की आत्मा को इस सदन के अन्दर कुचलते देखा है। जो ताकतें इन बातों के लिये जिम्मेदार हैं, हमारी यह मजबूरी है कि हम उनके साथ हाथ नहीं उठा सकते।

लेकिन हर संकट की घड़ी में हम इस सरकार को सहयोग का आश्वासन देते हैं। मै यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे वोट देने न देने की बात, संख्या की बात अलग है, लेकिन जनता दल आज भी उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनैतिक शक्ति से कमजोर शक्ति नहीं है। आगे आने वाले दिनों में हम इस बात को साबित करके दिखा भी देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाला दिन जनता दल, राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा का होगा। जो लोग देश को साम्प्रदायिकता की आग में

झोंकने का ख्वाब देखते है उनका यह ख्वाब पूरा नहीं हो सकता । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित व श्री ऊदल के खड़े होने पर)

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, आपने किसका नाम पुकारा है ?

श्री ऊदल–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती के मुख्य मंत्री बनने पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और इसलिये भी देता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार एक दलित वर्ग में पैदा हुई सुश्री मायावती देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी हैं । महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की जो सर्वोच्च कुर्सी है, राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की उस पर दलित वर्ग का कोई व्यक्ति बैठे तो मुझे बहुत खुशी होगी । इसलिये मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वह दिन भी हिन्दुस्तान में आये जब भारत की सर्वोच्च कुर्सी पर दलित वर्ग के लोग बैठें, मुझे महान खुशी होगी । अभी श्री राम आसरे वर्मा जी ने कहा, कि इस प्रदेश में गुण्डाराज था, वह खत्म हो गया है ।

माननीय मुलायम सिंह यादव ऐसे व्यक्ति थे कि जिन लोगों के दरवाजे पर वह जाकर गिड़गिड़ाते थे सहयोग के लिये और समर्थन के लिये वह जनता दल, सी० पी० आई० और कांग्रेस । जब तक इन दलों ने लिखकर महामहिम राज्यपाल को नहीं दिया तब उनका शासन यहां नहीं बना । क्योंकि एक ही वोट का फर्क था भारतीय जनता पार्टी का एक ही वोट कम था उनके मोर्चे का एक वोट ज्यादा था तो मुलायम सिंह यादव ने उन्हीं मित्रों को खाना शुरू कर दिया । माननीय कांसीराम जी के शब्दों में उनका हाजमा इतना बढ़ गया था कि वह सी० पी० आई० को चार बार खा गये अकेले पचा गए और मुझे भी खाने की कोशिश की । मुझे कोई खा नहीं सकता–"आखिर मैं क्या खाक मुसलमां होंगे" तो मैं बच गया उन्होंने जनता दल को भी खाया इनको भी तीन-चार बार में खा लिया मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसके साथ उन्होंने चुनाव लड़े माननीय कांसीराम जी के साथ, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जिसके साथ उनकी सरकार बनी उसको भी उन्होंने खाना शुरू कर दिया, तो उनका हाजमा इतना बढ़ गया था । उनके तानाशाही रवैये, उनके कृत्यों का फल तो मिलना ही था । इनके अन्दर इतना दंभ आ गया था कि इतना घमंड आ गया था वह अपने कर्मों से चले गये मुझे महान खुशी है ।

(समय 2 बजकर 5 मिनट)

श्रीमन् जागरण में छपा सी० पी० आई० प्रदेश से खत्म हो गई यह उन्होंने कहा था । सी० पी० आई० तो पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त पार्टी है । हमने उनको कई पत्र लिखे उसको उन्होंने जवाब नहीं दिया । मुलायम सिंह यादव जिसको नादान दोस्त कहते हैं वह दुश्मन आदमी हैं । अखबारों में छपा है गांव में भी एक कहावत है वह बहुत सही कहावत है कि "आदमी जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है" । उनको जाना था वह चले गये उनका तानाशाही रवैया खत्म हो गया । जंगल राज्य खत्म हो गया । सुश्री मायावती जी के साथ-साथ 2 तारीख को जो घटना हुई वह सही नहीं थी । मैं माननीय कांसीराम जी को बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि 22 तारीख

को कैसरबाग थाने के अन्तर्गत जो लखनऊ में पंचायती चुनाव में उम्मीदवार श्रीमती तारादेवी थी, मैं उन दिनों यहां मौजूद था, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया ? मैं कहना चाहता हूं सरकार से और सुश्री मायावती से उसके बारे में भी कार्यवाही करें उसके बाल पकड़कर खींचे गए । मेरे दफ्तर का टेलीफोन जिस तरह से तोड़ा गया जिस तरह से उस महिला का अपहरण किया गया उसको मारा-पीटा गया इतना ही नहीं उसके पति को भी मारा गया उसके पिता को भी मारा गया और बन्दी बनाया गया । 80–85 घण्टे बन्दी बनाया गया । इस तरह की शर्मनाक बात जो जनतंत्र के विरुद्ध हो जो किसी और को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहता है जिसने तानाशाही को चुना था उसे तो एक न एक दिन जाना ही जाना था ।

श्रीमन् सी० पी० आई० का वजूद जिसने खत्म किया जनता दल का वजूद खत्म किया वह व्यक्ति किसी का नहीं है । आज हृदय नारायण दीक्षित जी ने लोकतांत्रिक समाजवादी मोर्चा बनाया है । एक रामचन्द्र बख्श सिंह थे वह भी इनके दल में आ गए । 14-15 महीने के अन्तराल में लौट गए हैं और भी बहुत लोग लौट जाएंगे । उन्होंने कहना शुरू किया माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी बैठे हैं । हमारे लोक सभा के विरोधी दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के महान नेता श्री अटल बिहारी बाजपेई की मैं इज्जत करता हूं । हमारी व्यक्तिगत रूप से उनसे जान पहचान है । अभी मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने, वी० पी० सिंह ने और सी० पी० आई० के श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने गिराया उन्होंने कांग्रेस का भी नाम लिया ; मालूम होता है कि मुलायम सिंह यादव सद्दाम हुसैन बनना चाहते हैं, बेनजीर भुट्टो बनना चाहता हैं । इस तरह छोटे मुंह बड़ी बात वह करते हैं । यह उनके घमण्ड का फल था । उनको जाना था वह चले गए । मैं दो तारीख को यहां लखनऊ में नहीं था लेकिन हमारे दल के लोग वहां पर मदद के लिए हाजिर हुए थे । मैं बताना चाहता हूं मा० काशीराम और बहुजन समाज पार्टी को कि तारादेवी के अपहरण कांण्ड के बाद हमारी सी० पी० आई० के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ सड़कों पर उतर आए थे और तारा देवी को मुक्त कराया था । मैं मांग करता हूं कि सरकार उस मामले को भी देखे । कैसरबाग कोतवाली में रिपोर्ट है ।

एक विधायक श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव उसमें शामिल थे वह उसको वनमंत्री श्री भगवती सिंह के यहां पकड़ कर ले गए । सामन्ती युग में जिस तरह से दास हुआ करते थे कि हुकुम हुआ कि फलाने को पकड़ लाओं उसी तरह तानाशाह की तरह श्री मुलायम सिंह यादव का आचरण था । जिस समय गेस्ट हाउस में जिन लोगों का अपहरण हुआ उनकी पेशी भी मुलायम सिंह यादव के यहां हुई थी । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव के चले जाने के बाद प्रदेश की जनता ने राहत की सांस ली । हमारा प्रदेश पिछले 5-6 वर्षों से विकास के काम में काफी पिछड़ गया है । यहां साम्प्रदायिकता की भी आग लगी और काफी दंगे फसाद हुए । बाबरी मस्जिद गिरी । उस वक्त भी 30–32 जगहों पर दंगें हुए । बांगलादेश में 32–33 मंदिर गिराए गए मस्जिद के रिएक्शन में । हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र कायम रहे यही मैं सरकार से आशा करता हूं । मैंने आपसे आज भी कहा और आपके जो प्रान्तीय अध्यक्ष हैं श्री जंगबहादुर पटेल उनसे भी मैंने बता दिया कि मेरा आपको सहयोग तो हर तरह से प्राप्त होता रहेगा जहां सी० पी० आई के लोगों की जरूरत होगी वह आपसे कन्धे से कन्धा मिलाकर चलेंगे लेकिन हमारी भी मजबूरी है । आपको अपार बहुमत प्राप्त हो रहा है । बहुत बड़ी मेजारटी आपके साथ है इसलिए हर तरह से सहयोग देने के बावजूद आपको वोट नहीं दे पाऊंगा । मैं आपको धोखे में नहीं

रखना चाहता हूं। इसके लिए हमारी मजबूरी है। क्योंकि हमारी पार्टी में दो राय हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी का हर तरह से आपको सहयोग मिलेगा।

(शोर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इतने बड़े दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने दल के लोगों को अनुशासित नहीं रख सकते तो या तो हम सदन से चले जांय या तो मैं कहूंगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, नैतिकता की परिभाषा कौन कर रहे हैं? आप देख लें।

श्री ऊदल–

अभी तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मैंने जो आपके महान नेता हैं माननीय अदल बिहारी बाजपेई जी उनको मैंने न बधाई भी दी और आपके बारे में कुछ नहीं कहा लेकिन एक बात कहूंगा माननीय कल्याण सिंह के बारे में जो आपकी पार्टी के नेता भी हैं और पूर्व मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं जो सबूत के अन्तर्गत है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कसम खायी थी कि हम बाबरी मस्जिद को नहीं गिरने देंगे, इतना तो सही है उन्होंने इसको तोड़ा, इसीलिये मैं सुश्री मायावती जी, माननीय कांशीराम जी को अगाह करता हूं आगे कुछ नहीं कहता। इतना ही कहता हूं कि इनसे सावधान रहना चाहिये, सावधान रहने की जरूरत है। जो काम आपका जनता के हित में, दलितों के हित में, प्रदेश को ऊंचा उठाने में, शान्ति व्यवस्था को कायम करने में, न्याय पालिका, कार्य पालिका, विधायिका और प्रेस की आजादी के संबंध में होगा उसमें हम अपना सहयोग देंगे और हमारी पार्टी का समर्थन कायम रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित को पुकारे जाने पर।)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं बहुत देर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जो भी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं उनको समय दिया जायगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से और नेतागण से निवेदन करना चाहता हूं कि वह समय का ध्यान रखकर संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मैं इस सदन की नेता और मुख्य मंत्री के पद पर आसीन सुश्री मायावती को बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर आसीन होते ही सभी वर्गों के हित में काम करने का फैसला लिया। श्रीमन्, यह सरकार जिसे आज विश्वासमत हासिल करना है और जिस वजह से वह सत्ता में आयी है उन बिन्दुओं पर मैं आपकी अनुज्ञा से कटु कहने की कोशिश करूंगा लेकिन मैं साथ ही

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज जिन लोगों को समर्थन दिया हैं उन लोगों ने समय-समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कभी मनुवादी कहा, कभी साम्प्रदायिक कहा, कभी देशद्रोही कहा और हो सकता है कि यह शब्द राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण निकले हों।

यह भी संभव है कि यह शब्द आक्रोश में निकले हों। जो लोग सताये जाते हैं, उनकी वाणी में ऐसी बातें निकल ही आती है, जो वह कहना नहीं चाहते हैं।

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुलायम सिंह यादव की सरकार के कुशासन को समाप्त करने के लिये अपने दल की चिन्ता न करते हुये सुश्री मायावती को जो समर्थन दिया है, मैं आप के माध्यम से उनको बधाई देता हूं। श्रीमन् इस सरकार की आवश्यकता क्यों आयी ? एक सरकार आदरणीय कांशी राम जी के समर्थन से इस उत्तर प्रदेश में पहले से ही चल रही थी। निश्चित है कि माननीय कांशी राम जी को भरोसा रहा होगा कि वह बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्तों पर उनके बताये गये मार्ग के अनुरूप चलेगी और निश्चित रूप से उन्होंने इस बात की कोशिश भी की होगी, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्तों पर नहीं चल पायी, ऐसा समाचार पत्रों से मालूम होता रहा और कई स्त्रोतों से सभी माननीय सदस्यों को भी जानकारी होती रही है कि यह सरकार अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग और समूचे समाज और यहां तक कि संविधान के हितों के विरुद्ध काम कर रही है, तो माननीय कांशी राम जी के मन में एक टीस और उमस पैदा हुई होगी। वह राष्ट्रीय नेता हैं और उनको एहसास हुआ होगा।

समाजवादी पार्टी के सदस्य बैठते थे और बहुजन समाज पार्टी के भी सदस्य बैठते थे, पीछे वाली कुर्सियों पर बैठते थे, उनमें से मैं भी एक था, तो मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों के मन में एक बड़ी टीस थी और मेरे जैसे सदस्य से पूछा जाये तो मैं कहना चाहता हूं कि जो मैं आज कह रहा हूं वह पहले नहीं कह सकता था। यह सब आज मैं कह रहा हूं। कांशी राम जी बहुत बड़े नेता हैं। मेरे जैसे अनेक साथी हैं, जो इस विचार के थे कि मुलायम सिंह की सरकार को जाना चाहिये और एक उचित फोरम पर अपनी बात कहनी चाहिये। हम लोग मुलायम सिंह यादव से बात किया करते थे। एक माननीय सदस्य उपदेश सिंह चौहान ने हिम्मत जुटाई कि वह समाजवादी पार्टी से अलग हुये, तो मैं कहना चाहता हूं कि विद्रोह करने के पहले वह समाजवादी थे, अच्छे थे और महान थे लेकिन विद्रोह करने के दूसरे दिन से वह अफीम वाले हो गये, तस्कर हो गये, उनके घर से अफीम बरामद हुई, यह सब एक रात में ही हो गया। श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री की कुर्सी किसी एक व्यक्ति की कुर्सी नहीं हुआ करती है, ऐसे में संस्थायें काम करती हैं, मुख्य मंत्री कुपित होने लगे और अपने साथ बैठने वाले विधायकों के यहां से अफीम निकलवाने लगे। तब हम बहुत कमजोर हैं, सब लोग अपने घर में कार्य व्यवहार को ठप करवा दें। तो फिर एक कठिनाई आई हमारे सामने, हमारे साथ बैठे हुए माननीय सदस्य प्रवीण सिंह ऐरन ने विद्रोह किया। यहां जो बैठे हैं उनको भी कई तरह से दबाने की कोशिश की गयी, अराजक तत्वों द्वारा उनको कई तरह से धमकाया गया, उनके परिवार को परेशान किया गया। मान्यवर, वह विद्रोह जो धीरे-धीरे सुलग रहा था मैं फिर बधाई दूंगा आदरणीय कांशीराम जी को और आदरणीय भाजपा के नेताओं को कि उन्होंने उस कुशासन को खत्म किया।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी बात करीब-करीब भावना के रूप में पूरी हो गयी है। श्रीमन्, 18 माह के शासनकाल में सम्पूर्ण जनमानस में किसी भी क्षेत्र में, प्रतिभावान लोग चाहे पत्रकार रहे हों उनको अपमानित किया गया, प्रतिभावान सांसद रहे हैं उनको अपमानित किया गया, विधायक रहे हैं उनको अपमानित किया गया, प्रतिभावान व्यापारी, वकील या इंजीनियर, रहे हैं उनको अपमानित किया गया यहां तक कि वरिष्ठ आई० ए० एस० जो प्रतिभावान रहे हैं वह तिरस्कृत किये गये, अपमानित किये गये, दबाये गये और यहां तक कि श्रीमन्, यहां पर कई बार मुख्यमंत्री के रूप में बैठे आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी, देश विदेश में जिनका बहुत नाम है उनको भी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने और उनके लगुओं भगुओं ने देशद्रोही कहा इससे घटिया और क्या बात हो सकती है कि श्रीमन्, जिन्हें देश में सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में सम्मानित किया गया श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी को जिनके बारे में हमारे जैसे विनम्र विद्यार्थी विधायक जो पुस्तकालय में बैठते हैं वह यह ढूंढते हैं कि उनके भाषण के बारे में कहीं कुछ मिल जाय और उसको हम दोहरा सकें ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनके बारे में अध्ययन होते हैं और दुनिया के तमाम देशों में ऐसे नेता को भी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यह कहा कि उनसे घटिया कोई सांसद नहीं देखा। इस तरह से देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभाओं को अपमानित करने का सिलसिला चला।

श्रीमन्, चीनी मिल बेची जा रही थी, जेले बेची जा रही थी और जेलें तो शायद इसलिए बिक रही थी कि उनके साथी कहीं उसमें भेज न दिये जायं। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक हल्लाबोल कार्यक्रम चला। हमने इसके बारे में उनको एक पत्र भी लिखा था उन्होंने मुझे समय दिया सबेरे साढ़े 4 बजे का। हमने उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि जब तक इस देश में जानने का अधिकार नहीं होगा तब तक कोई पत्रकार समाचार पत्र मेरा विरोधी लगता है ऐसा कहना उचित नहीं, उसको तथ्यगत जानकारी नहीं हो सकती है। उसको जानकारी करने का अधिकार है मगर वह जो कुछ लिखता है वह निश्चित रूप से उसकी जानकारी है लेकिन हमारा विरोधी है ऐसा नहीं मानना चाहिए मैंने उनसे सबेरे साढ़े 4 बजे बात की, मुलायम सिंह ने कहा कि मैं आपकी बात से सिद्धान्ततः सहमत हूं लेकिन यह दो अखबार हमारे विरुद्ध बात लिखते हैं, मैं उनका यहां पर नाम नहीं लूंगा आप अखबार वालों में बैठते हैं कृपया इसकी व्याख्या न करियेगा कि यह आन्दोलन अहिन्सक है, तो मैंने हंसते हुए कहा कि क्या यह आन्दोलन हिंसक है तो उन्होंने कहा कि इसकी भी व्याख्या न करियेगा।

श्रीमन्, हाकर मारे गये वह पता नहीं किस श्रेणी में आते हैं लोहिया जी का बहुत नाम मुलायम सिंह यादव लिया करते हैं, गांधी जी का नाम लिया करते हैं, जयप्रकाश नारायण का नाम लेते हैं, चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हैं। पत्रकार लतियाये गये यह सब होता रहा और यहां तक कि पुलिस बल को भी अपने अनुसार बनाने के लिये उसमें भी भारी बेइमानियां की गयी और सिपाही जो सबसे छोटा होता है, सिपाही की भर्ती में नौकरियां बेची गयी इस तरह से इतना कलंकित हुआ उत्तर प्रदेश का इतिहास तो श्रीमन्, ऐसी कुशासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आदरणीय कांशीराम स्तुत्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्तुत्य हैं। श्रीमन्, जहां आप बैठे हैं आपके ऊपर राष्ट्रपिता बापू जी का चित्र लगा हुआ है। महात्मा गांधी बापू ने कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई कमजोर वर्ग का दलित वर्ग का होना चाहिए। आज आपके सिर पर महात्मा गांधी खड़े हुए हैं और वह देख रहे होंगे कि दलित परिवार में पैदा हुई, सामान्य परिवार में पैदा हुई, डा० लोहिया जी कहा करते थे कि महिलाएं

उनसे भी दलित हैं यहां महिला मुख्यमंत्री बनी और उनका सपना पूरा हुआ है । आज इस सरकार के बनने से इस पूरे प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें इस उत्तर प्रदेश में लगी हुई हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बाहर जाकर सुश्री मायावती जी का नाम लिया । इन्हीं कुछ भावनाओं के साथ, इसमें हो सकता है भावनाओं में मैंने कुछ इधर-उधर की बातें की हों, अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, मेरे बगल में सुशीला सरोज जी बैठी हुई हैं यह कह रही हैं कि एक बात तो छोड़ गये हैं । श्रीमन्, गेस्ट हाउस में इस आदरणीय सदन के तमाम सदस्य टिके हुए थे और जैसा कि मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि व्यक्ति की हैसियत होती है और जब माननीय सदस्य हैं तो उनके कुछ विशेषाधिकार हैं । वे यहां चुनकर आये हुए हैं । वहां जो लोग टिके हुए थे विधायक थे और विधायक पर मारपीट के माने उस विधान सभा क्षेत्र के सारे लोग मारे गये । हम लोग प्रतीक हैं वहां के । अनेक विधायक वहां गेस्ट हाउस में मारे गये और यहां तक कि आज जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई हैं जिनको देखकर हम बड़े आशान्वित हैं और बड़े प्रसन्न हैं, उन पर धावा हुआ, कपड़े फाड़े गये । जो कुछ भी हुआ उसको शब्दों में क्या कहें जिन लोगों ने उसे झेला, वही जानते हैं ।

मा० ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी बैठे हुए हैं वह वहां गये मा० राम आसरे वर्मा जी ने उल्लेख किया कि जब पता चला तो उनके तमाम साथी वहां पहुंच गये । ऐसे लोगों ने उन तमाम घटनाओं को टाला । उस कुशासन को समाप्त करके यह जो सरकार सत्ता में आई है इससे हमें उम्मीदें हैं कोटि-कोटि जनता को बहुत उम्मीदें हैं । गरीबों को और शोषितों को बहुत उम्मीदे हैं, दलितों को उम्मीदें हैं, हमारा समर्थन है, खुलकर हमारा समर्थन हमारे ग्रुप का इस सरकार के लिए है । हमारी प्रार्थना है कि शोषित वर्गों के हितों के लिए अप्प काम करें । हमारी बधाई । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, 18 महीने की मुलायम सिंह यादव सरकार में उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी । लोकतंत्र की लाश को चौराहे पर फेंक दिया गया था और प्रदेश की जनता को सिसकने की भी आजादी नहीं दी गयी थी । सब चिन्तित थे । पंचायत चुनाव में जो कुछ हुआ प्रदेश की जनता ने उसे महसूस किया कि आगे आने वाले समय में लोकतंत्र खतरे में है । पिछले एक महीने की घटनाओं से भी पूरे प्रदेश की जनता ने महसूस किया कि संवैधानिक परम्पराएं और संसदीय इतिहास में बाधा उत्पन्न की जा रही है, और इस परिवर्तन ने श्री मुलायम सिंह यादव और श्री धनीराम वर्मा जी जैसे लोगों का नाम काले अक्षरों में लिख दिया है । मा० कांशीराम जी को मैं बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने अपने दल की सुश्री मायावती जी, को उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का जो मौका दिया है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता व नारी समाज आज उससे गौरवान्वित हुआ है ।

18 महीने की श्री मुलायम सिंह यादव सरकार ऐसी पहली सरकार थी जिसमें किसी महिला को मंत्री बनने तक का मौका नहीं मिला था । उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी दो-दो महिलाएं उसमें मंत्रियों के रूप में थीं । अधिष्ठाता मण्डल में मुझे भी रहने का मौका मिला था लेकिन 18 माह में प्रदेश की महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, प्रदेश की महिलाओं पर जो उत्पीड़न हुए हैं, प्रदेश की महिलाओं के मान-सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसके विरोध में या उसके

विरोध स्वरूप मा० कांशीराम जी ने आज प्रदेश को अस्थिरता की स्थिति से बचाने के लिए मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी, मा० मुरली मनोहर जोशी जी, मा० कल्याण सिंह जी तथा जनता पार्टी ने अपना समर्थन देकर नारी समाज और उ० प्र० की जनता के साथ जो न्याय किया है उससे हम सब महिलायें आज गौरवान्वित हैं। बहन मायावती जी आज हिन्दुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले दिन ही पत्रकारों के बीच में कहा था कि मैं सर्वसमाज की मुख्यमंत्री हूं। पूरे प्रदेश की जनता के साथ में बिना किसी भेदभाव के न्याय करूंगी।

मान्यवर, जब-जब पृथ्वी पर दुष्टों और राक्षसों का पाप बढ़ा है, तब-तब बहन मायावती जैसी दुर्गा और रणचंडी के रूप में ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए अवतरित होती हैं। आज बहन मायावती ने ऐसे दुष्टों से प्रदेश को नाश होने से बचाया है। मैं बहन मायावती जी को बधाई देती हूं और अपने दल के वरिष्ठ नेताओं को, माननीय कांशीराम को विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

माननीय सदस्य केवल 5 मिनट में अपने विचार व्यक्त करें, इसके अतिरिक्त जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, वह कृपया अपने नाम भिजवा दें, तो सुविधा होगी।

* श्री धनराज यादव–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। सर्वप्रथम मैं इस सदन की नेता माननीया मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह यादव की क्रूर सरकार चली गई। पूरे प्रदेश ने जितना सुकून मुलायम सिंह की सरकार के जाने से और कुमारी मायावती की सरकार बनने से महसूस किया है, शायद कभी भी इतना जनमानस संतुष्ट हुआ हो। किसी भी वर्ग के किसी भी क्षेत्र के, किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि पूर्णरूप से संतुष्टि का इजहार किया। सभापति महोदय, मैं अपने मत से यह कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह की राजनीति यह रही कि लोगों से दोस्ती करना, सरकार बनाना, काम निकालना और लोगों को धोखा देना, यह उनकी परम्परा रही। लेकिन इस बार यह धोखा देने में चूक गये और उन्हें पता नहीं चल पाया कि माननीय कांशीराम और भाजपा के नेता माननीय अटल जी और जोशी जी, कल्याण सिंह जी ने कितने गोपनीय ढंग से योजना बनाई होगी। कहीं यदि इसकी भनक मुलायम सिंह को लग जाती, तो धोखा देने के अभ्यस्त मुलायम सिंह एक बार फिर सबको धोखा दे जाते। मैं इस योजना की प्रशंसा करना चाहता हूं और बसपा की जो सरकार बनी है, यह सरकार बहुत ही चमत्कारिक काम करेगी, ऐसी मुझे आशा है।

मान्यवर, कुछ लोगों को भाजपा से एलर्जी है, और उनके जुबान से भाजपा नाम निकल जायेगा, तो उनकी जबान खराब हो जायेगी, इसलिये वह जुबान पर भाजपा का नाम नहीं लाते। लेकिन वह यह नहीं जानते कि 35 प्रतिशत जनता ने भाजपा को वोट दिया है, क्या 35 प्रतिशत को वह अछूत बनायेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

। मैं उन नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि विचार करें, न कोई पार्टी खुद में कुछ होती है, न कोई नेता कुछ होता है । केवल जनता ही मालिक होती है और जनता ने ही चुनकर हमें यहां भेजा है । मेरा उन नेताओं के प्रति हृदय में बड़ा आदर है, वह भी चाहते हैं कि भाजपा की प्रशंसा करें, लेकिन मजबूरी के कारण वह बोल नहीं सकते, ऐसे लोग रहम के पात्र हैं । मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे हृदय में बड़े उद्‌गार हैं, इसलिये बोल रहा हूं,-वैसे बोलता बहुत कम हूं, यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं । मायावती की सरकार मात्र राजनीति सुधार नहीं करेगी यह सामाजिक समानता और एकता को आधार बनायेगी ।

अभी माननीय हृदयनारायण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मायावती और बी० एस० पी० के अधिकांश लोग ऐसे वर्ग में पैदा हुये थे जो हिन्दू समाज के अन्दर छुआछूत, ऊंच-नीच के भेदभाव के नाते पीड़ित थे इसलिये गुस्से में कभी कुछ कहा होगा । भाजपा का हर नेता इस बात को यकीन करते हुये महसूस करता है कि इस वर्ग के साथ ज्यादती हुई होगी तो उसमें कोई कड़ी बात कह दी तो वह हमें शिरोधार्य है । बी० जे० पी० ने कोई राजनीति फायदा लेने के लिये समर्थन नहीं दिया है..

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री धनराज यादव–

जो दलित, पिछड़े और दबे हुये थे उनको उठाने के लिये उनकी सरकार बनाने के लिये समर्थन दिया है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब आप आसन ग्रहण करें ।

* श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया–

मान्यवर, किसी का संभाषण उसकी कार्य क्षमता का परिचायक नहीं होता है । मैं ज्यादा समय न लेते हुये इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पत्र पत्रिकाओं, दूरदर्शन और रेडियो और समाचार माध्यमों से यह बात सामने आती है कि हमारे देश के पंजाब और काश्मीर में आतंकवाद व्याप्त है लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्षरूप में आतंकवाद देखने को मिला है । जिसको समाप्त करने के लिये माननीय कांशी राम जी ने सख्त कदम उठाया है और बहन मायावती उसका सामना कर रही है जिसकी चर्चा आज हर जगह है । मैं एक निर्दलीय होने के नाते जनता की भावना से भलीभांति वाकिफ हूं कि जिस व्यक्ति का राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है वह जनता की बात को ज्यादा अच्छी तरह जानता है । आज इस सरकार के आने के बाद हर व्यक्ति राहत की सांस महसूस करने लगा है ।

भूतपूर्व मुख्य मंत्री कहते रहे कि हम महिलाओं के लिये आरक्षण लागू करेंगे दलीय भावना से ऊपर उठकर कार्य करेंगे क्योंकि उनकी समाजवादी सरकार है लेकिन बहन मायावती को मुख्य मंत्री बनाने की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात हुई तो उनके समाजवाद ने यह बात स्वीकार नहीं की । आप लोग अच्छी तरह जानते हैं उनके कितने विधायक समाजवाद में विश्वास करते हैं उसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूं । लखनऊ में सबसे बड़ी बिल्डिंग ताज होटल की बनी है या फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना है । तो इसी को वह समाजवाद कहते हैं इसका विरोध माननीय दीक्षित जी ने भी किया । इसके खिलाफ सबसे पहले माननीय उपदेश सिंह चौहान जी ने आवाज उठाई, उनकी गुण्डागर्दी के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके घरभर को नारकोटिक्स में बन्द करवा दिया । उनकी बस और ट्रक के परमिट कैंसिल कर दिये और उनका जो सिनेमाहाल था उसे बन्द करवा दिया । तो हर तरह से उनको प्रताड़ित किया ।

मैं ज्यादा समय न लेते हुये मानीनय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जनता को न्याय देने की बात कही है । उ० प्र० की जनता उनके न्याय की अपेक्षा करती है उसमें अगर विलम्ब होगा तो उस न्याय का महत्व नहीं रह जाता है । इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को आप न्याय दिलायें और वक्त से दिलायें इसके साथ ही मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि मैं मुलायम सिंह जी की नीतियों के विरुद्ध हूं और आप भी हैं लेकिन कांग्रेस का दिमाग समझ में नहीं आ रहा है । अगर यह उनके समर्थक हैं तो उनके साथ चले जांय और सरकार के खिलाफ मतदान करें और अगर उनके विरुद्ध हैं तो हमारे साथ आये । यह क्या बात है कि वोटिंग में वह एब्सटेन कर रहे हैं । यह बात हमारी समझ में नहीं आती है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं । धन्यवाद ।

* श्री इन्द्र भद्र सिंह–

मान्यवर, नेता सदन द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर मुझे आपने बोलने का समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को उनकी पार्टी द्वारा केन्द्रित नेतृत्व द्वारा मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जो निर्णय लिया है उसके लिए हम अपनी ओर से अपने निर्दलीय साथियों की ओर से बधाई देते हैं । इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को और केन्द्रित नेतृत्व को भी बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आज इन लोगों ने जो साहसिक कदम उठाया है वह भले ही यहां चाहे कुर्सी की लड़ाई हो या दल की लड़ाई हो लेकिन वास्तव में आज प्रदेश में कहीं भी चले जांय तो निश्चित रूप से पायेंगे कि पिछली सरकार के जाने के बाद आम आदमी जितनी राहत की सांस ले रहा है और जितनी प्रसन्नता का अनुभव उसे हो रहा है उतना पहले नहीं था ।

मान्यवर, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से हमें बड़ी अपेक्षाएं हैं और जैसा कि नेता सदन ने कल ही अपने पहले बयान में कहा था कि अब वह किसी दल विशेष की नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री है, इसलिए सभी वर्गों को उन्होंने न्याय देने की बात कही है जिसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं । लेकिन उनसे मेरा एक निवेदन है कि बदले की भावना से कोई कार्य न करें क्योंकि आज सभी दो तारीख की घटना से दुखी है । हम उसके पीछे जाना चाहेंगे कि 16 दिसम्बर, 1993 को भी उससे बड़ी घटना इस सदन में हुई थी और उस समय आज अविश्वास के मत पर पूर्व अध्यक्ष के संबंध में वैसे हमें बोलने का अवसर नहीं दिया गया लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वह उसी कुर्सी पर विराजमान थे और सामने ही,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शायद उ० प्र० के सदन के इतिहास में उतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पहले नही हुई हो । इसलिए उसकी निन्दा करनी चाहिए थी लेकिन सत्तापक्ष के लोगों ने वह नहीं किया बल्कि वाहवाही लूटी थी ।

उसके बाद दूसरी घटना की पुनरावृत्ति पूर्व शिक्षा मंत्री डा० मसूद अहमद का बंगला खाली करने पर किया । वह भी बदले की भावना से कार्यवाही की गई थी । इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री का साहस और बढ़ा था । आपने जब उनका साथ छोड़ा तो उस समय तक वह पिछड़े और दलितों के मसीहा थे । इसलिए उन्हें गंवारा नहीं हुआ कि इस प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई दलित महिला बैठे जिससे उनका वजूद समाप्त हो जाय । उस हालात में जो कुछ उन्होंने किया वह बदले की भावना से प्रेरित होकर किया था । मैं एक ही निवेदन नेता सदन से करना चाहता हूं कि हम इस सबसे हटकर जहां समाज को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं आज के हालात को देखते हुये हम सभी निर्दलीय सदस्य आपके साथ हैं और अपना पूर्ण समर्थन आपके प्रति व्यक्त करते हैं ।

* श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

मान्यवर, आज इस ऐतिहासिक मौके पर मैं इस माननीय सदन में सुश्री मायावती जी को जो विश्वास मत हासिल करने जा रही हैं, बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं । समाजवादी लोकतांत्रिक मोर्चा के जो कुछ लोग यहां बैठे हैं, उनकी भी एक वेदना है, हार्दिक टीस है और वह मुलायम सिंह जी से त्रस्त रहे हैं और उनके द्वारा छले भी गये हैं । मुलायम सिंह और उनकी पार्टी को हमने भुगता है, उसका दर्द हम ही जानते हैं । 171 सदस्यों की समाजवादी पार्टी के जो 5-8 सदस्य हम यहां बैठे हुए हैं, तो यह हमारी कोई संख्या नहीं है और जब हम उनके खिलाफ उनकी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज चारों ओर उठा रहे थे, घूम-घूम कर उठा रहे थे, तो लोगों का यही कहना था कि वह पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और पांच साल पूरे चलेगी इसलिए उनके खिलाफ लड़ना बेकार है । किन्तु वास्तव में यह लोग उनसे बहुत ज्यादा भयभीत थे । इसके पीछे एक कारण था, सन् 89 में भी मैं विधायक था, मैंने उनके आचरण को करीब से देखा था, जो व्यक्ति चौधरी चरण सिंह का नहीं हो सका, वी० पी० सिंह का नहीं हो सका और चन्द्रशेखर सरीखे नेता का नहीं हो सका उन तमाम लोगों को जिसने मौके पर धोखा दिया, वह किसी का नहीं हो सकता है, जनता का कभी नहीं हो सकता है । वह व्यक्ति हर विचारधारा को और जनता को धोखा दे सकता है । वह कभी भी जनता का अपना नहीं हो सकता है ।

आज वह अल्पसंख्यकों की बात कहते हैं, लेकिन वह उसे भी नहीं छोड़ने वाले । मौका आने पर वह उसे भी धोखा देने से नहीं चूकने वाले है । जहां तक हमारे समाजवादी लोकतांत्रिक मोर्चा का सवाल है, हम उनको जो समर्थन दे रहे हैं, हमारा नकरात्मक समर्थन है, मुलायम सिंह जी के मुकाबले में समर्थन की बात है । मैं उनका काम अभी देखना चाहता हूं । जैसा अभी मायावती जी ने सदन को और जनता को विश्वास दिलाया है कि वह समाज के हर वर्ग के हित के लिए काम करेंगे, हर वर्ग के साथ-न्याय करेंगी और उनका दुखसुख दूर करेंगी, हम उसको वास्तव में देखेंगे । आज तो हमारा समर्थन तानाशाही के खिलाफ है । जो लोकतन्त्र के नाम पर फ्राड था, छल कर रहा था, उसको दण्ड देने का और सबक सिखाने का उन्होंने जो काम किया है, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं । कांशीराम जी को भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बधाई दूंगा जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उनके वोट बैंक का क्या होगा ? उन्होंने अल्पसंख्यकों का एक मात्र रहनुमा बनने का ढोंग किया है और उसके लिए इनके साथ धोखा भी किया है। यदि कोई भी पार्टी ऐसा सोच रही है उनके साथ रहने या उनसे भागीदारी करने के बारे में तो उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिसका भी वह साथ करेंगे उसी को बाद में वह धोखा देंगे। यह उनकी पुरानी आदत है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि जो हमने देखा है दो जून को स्टेट गेस्ट हाउस में, वहां जो नंगा नाच देखा है, उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति, विधायक या पार्टी, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, उनसे हाथ मिलाने या उनके साथ भागीदारी करने की आगे कभी भूल करेगा। "व्यवधान" मैं बहुत कम बोलता हूं, लेकिन आज आप हमारी सुन लें। कि दो तारीख को उन्होंने क्या किया है, मैंने मायावती को फोन किया था कि आप इस बात की चिन्ता न कीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसके विरोध में हम आठ लोग माननीय राज्यपाल से मिलने गये थे और हमने उस जघन्य काण्ड की उन्हें जानकारी कराई थी। आज किसी भी पार्टी के नेता ने अगर मुलायम सिंह के साथ तालमेल करने का प्रयास किया तो मैं समझता हूं कि उसका लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है और वह लोकतन्त्र और जनता के साथ और समाजवाद के साथ धोखा करेगा। ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए समर्थन करते हैं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये।

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

मैं एक मिनट कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश के सर्व समाज के लिये ऐसा कार्य करें जिसकी आपसे प्रदेश की जनता को आशा है। गरीबों और दलितों के उत्थान के लिये कार्य करें। जो गुण्डा राज आज तक कायम था उसको और उसके नियमों को खत्म करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री सरजीत सिंह डंग का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

हमारे दल से किसी भी सदस्य को बोलने का अवसर नहीं मिला है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय डंग जी आप पांच मिनट में अपने विचार व्यक्त करें। सबको मौका मिलेगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सुश्री मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के बिना शर्त समर्थन से जब शपथ ग्रहण की है तो यह मामूली सत्ता परिवर्तन की घटना नहीं थी। यह एक ऐसे प्रश्न का उत्तर था जो प्रश्न उत्तर प्रदेश की जनता अट्ठारह महीनों से बारम्बार इस सदन में

प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए लोगों से पूछ रही थी कि यह गुण्डों की सरकार, यह भ्रष्ट लोगों की सरकार, तानाशाह प्रवृत्ति के लोगों की सरकार कब तक चलती रहेगी । मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि माननीय कांशी राम जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मिलकर इस प्रश्न का उत्तर, उत्तर प्रदेश की जनता को दिया और उस भ्रष्ट सरकार को हटा दिया ।

(मेंजे थपथपाई गई)

मैं इस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता । भ्रष्टाचार की घटना, दलितों के साथ बलात्कार की घटना, 2 जून, की घटना, कब्जे, मुजफ्फरनगर काण्ड इन सब की चर्चा करना मैं समझता हूं कि अब पुनरावृत्ति होगी । मान्यवर, मैं दो बातों की ओर प्रदेश की जनता का ध्यान इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, वही शक्तियां जो आज भारतीय जनता पार्टी के बहुजन समाजवादी पार्टी को समर्थन देने पर जिनको कष्ट हो रहा है केन्द्र में 89 में उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनाई गई थी तब हमको साम्प्रदायिक कहने का साहस किसी को नहीं हुआ था । आज जो लोग मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बोल रहे हैं उन्होंने बकायदे उनके शासन में सत्ता की सुविधा को लालबत्ती लगा-लगाकर भोगा । मान्यवर, यह जो कांग्रेसी क्षद्म विरोध पक्ष हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, यह पिछली सरकार के साथ लगी रही और साम्प्रदायिक ताकतों के पोषक मुलायम सिंह यादव जी के साथ जुड़ी रहीं । मान्यवर, यह शक्तियां अभी कमजोर नहीं हुई है ।

मैं कहना चाहता हूं कि 4 बार इस प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने का मौका उनके हाथ में था । 16 दिसम्बर, 13 सितम्बर को हाई कोर्ट में समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमला किया था । कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर हमला हुआ, पंचायती राज के चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ । मुजफ्फरनगर कांड में उत्तराखण्ड के निरीह लोगों को हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया । आज भी मैं जानता हूं कि यह सदन में बोलेंगे कि हम इसलिये इस सरकार को समर्थन वोट देकर और मत देकर नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साम्प्रदायिक लोगों का साथ उनके साथ हैं ।

मैं कहना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कृपा करके ऐसे मित्रों से बची रहियेगा जो आपकी सत्ता की सुविधा को लेना चाहते हैं और बार-बार कहेंगे मजबूर हैं हम आपको मतदान नहीं कर सकते हैं । हमारी कठिनाई है उनसे एक प्रश्न यह भी पूछना चाहता हूं कि कभी इन लोगों के साथ दलित लोग जुड़े थे, उनके साथ विश्वासघात किया था मजबूर होकर दलितों ने एक नया खेमा खड़ा किया । मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दलित वर्ग को विश्वास दिला रहा है कि यदि कोई सच्चा साथी है कोई सच्चा हमदर्द है तो वह भारतीय जनता पार्टी है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

एक मिनट का समय और लूंगा ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायं मैंने जगदम्बिका पाल जी को बुला लिया है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। एक मिनट का समय दे दें मैं विश्वास प्रकट करता हूं कि यह नयी सरकार सामाजिक एकता और टूटे फूटे समाज के अन्दर जो समाज में पिछले एक डेढ़ वर्ष में टूट-फूट हुई है उसको दूर करना चाहती है। यह सरकार समानतायुक्त मामतायुक्त समाज की और प्रदेश को लेकर चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जवानी जमा खर्च नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक-एक सदस्य मतदान में रहेगा और मतदान में भी था। बिना शर्त समर्थन देने के लिए हम हर तरह से तैयार हैं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

इस तरफ के लोगों को भी अवसर दिया जाए। इस पार्टी के लोग भी बोलें।

(व्यवधान)

* श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन् मैं आपका बहुत आभारी हूं मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय तमाम सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और माननीय डंग जी ने बहुत अच्छे शब्दों में अपने जवाब अपनी भावनाओं को इस सदन के समक्ष, सदन के माध्यम से बड़े ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। मान्यवर उन्होंने हमारे दल की तरफ भी इशारा किया और यह भी कहा कि इस सरकार को, प्रमोद तिवारी या दल कांग्रेस की बात हो गई। सरकार को समर्थन देने की बात है बहन मायावती मुख्य मंत्री जी बनी हमने सार्वजनिक रूप से, पूरे प्रदेश की जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि आज उत्तर प्रदेश में पूरे देश और दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश की धरती से एक नयी परम्परा, एक नया अध्याय शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक दलित समाज की मुख्य मंत्री बनी और प्रदेश ने उनको मौका दिया।

इस विधान सभा में एक दलित समाज की महिला को मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया उसका हमने स्वागत किया और सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा। इस बात की हमें पीड़ा है और हमारे जैसे सदस्य उस दिन मर्माहत हुए जब इसके पहले सरकार आई और सरकार बनी। 16 दिसम्बर, 1993 को इसी सदन में जन प्रतिनिधियों पर जो हमला हुआ वह किसी व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं था वह लोकतंत्र के ऊपर हमला था। उसमें श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी आदि कई लोग घायल हुए। उस दिन लोकतंत्र और प्रजातंत्र लहूलुहान हुआ तथा इस सदन की परम्परा टूटी थी। इस सदन की मर्यादा को चोट पहुंची थी। पिछली सरकार के पहले दिन की शुरुआत ही हिंसा से हुई तथा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस दिन वह सरकार गई उस दिन दो जून, 1995 को भी एक दलित महिला और उनके सम्मानित विधायकों को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया।

आज डंग साहब कह रहे हैं कि आप सिर्फ समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम समर्थन भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं तथा हम वोट भी देना चाहते हैं लेकिन जब हमारे सामने पिछले दृष्टान्त आते हैं तो हमें सोचना पड़ता है इसी सदन में 1967 में जब चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी उसमें जनसंघ ने सहयोग दिया था तथा उसके बाद उनकी सरकार को धोखा दिया तथा उस सरकार को गिरा दिया। 1977 में इसी सदन में राम नरेश यादव की सरकार बनी उस सरकार में मा० कल्याण सिंह भी मंत्री थे, मुलायम सिंह भी मंत्री थे। 1977 में राजमंगल पाण्डे ने अपनी सरकार के विधेयक के खिलाफ वोट देकर राम नरेश यादव की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया था। इस प्रदेश में दो सरकारों को समर्थन दिया और बाद में उनको गिरा दिया। केन्द्र में 1977 में श्री मोरार जी देशाई की सरकार बनी उसको तथा 1989 में वी० पी० सिंह की सरकार को इन लोगों ने गिरा दिया। मैं तो समर्थन कर रहा हूं मैं निराधार बात नहीं कर रहा हूं मैं तथ्यों के आधार पर यह बात कह रहा हूं अगर विषय से परे कहूं तो आप मुझे बोलने का समय न दें ....

(समय 3 बजकर 5 मिनट)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब पाल साहब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को समर्थन सिर्फ, अपनी वोट संख्या बढ़ाने के लिए करती है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

पाल साहब आप अपनी वाणी को विराम देकर स्थान ग्रहण करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं....(शोर)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांत रहें। समय का ध्यान रखें, अब मैं माननीय नेतागण को ही समय दूंगा। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह बैठ जायं और माननीय नेतागण को अवसर दें ताकि समय से सदन की कार्यवाही पूरी की जा सके।

(शोर)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं आपके आचरण से लोग सीखेंगे, आपको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए ।

(अनेक सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

सभी सदस्यगण बैठ जायं । माननीय पाल जी आप बैठ जायं जो समय आपके लिए निर्धारित था उससे ज्यादा समय आप ले चुके हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपने स्वीकार किया है कि माननीय पाल जी वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको थोड़ा सा समय और दे दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह सरकार, आज जो मायावती की सरकार बनी है यह भारतीय जनता पार्टी के योगदान से नहीं बनी है यह माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अहंकार की परिणित है । (शोर)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आदरणीय पाल जी आप बैठ जायं मैंने माननीय नेता जनता दल को बुला लिया है । (शोर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सभी लोग कह रहे हैं कि आप बोलें । मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए । (शोर)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, मैंने माननीय सदस्यों को काफी अवसर दिया है । अब माननीय नेतागण बोलेंगे । उनसे मेरा अनुरोध है कि 10-10 मिनट में अपनी बात कहने की कोशिश करें ।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं अपनी बात शुरू करने से पहले....(शोर)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण शांत रहें । इस डिवेट को सुनें और तर्क का जवाब तर्क से दें ।

*श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले इस प्रदेश की मुख्य मंत्री की कुर्सी पर आसीन हुई सुश्री मायावती जी को बधाई देता हूं। मान्यवर, जैसा कि माननीय डंग जी ने कहा कि मामला सत्ता परिवर्तन का नहीं है, यह देश के लोकतंत्र में बहुत बड़ी घटना है कि दलित वर्ग की एक महिला इस राष्ट्र के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्य मंत्री बनी हैं और जो हमारे पुरखों ने सपना देखा था, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिये सोचा था और यह सोचा था कि कुरीतियों को दूर करते जब शोषित वर्ग की भागेदारी सत्ता में होगी और वह वर्ग सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगा, तब हिन्दुस्तान में वास्तविक लोकतंत्र आयेगा। आज हम अनुभव करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी महिला मुख्य मंत्री बनी है, ऐसे वर्ग की महिला मुख्य मंत्री बनी है, जिसका हमारे पुरखों ने सपना देखा था। मायावती जी हमारे जिले की रहने वाली हैं और मैं गौरवान्वित हूं। हमारे जिले बुलन्दशहर में पैदा हुई है, इस कारण मुझे खुशी है कि हमारे जिले का नाम उन्होंने मुख्य मंत्री बनकर रोशन किया है और मैं कामना करता हूं कि वह प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के बड़े पद पर पहुंचे।

मान्यवर, हमारे समाज की परम्परा रही है कि जो दिवंगत हो जाता है, उसकी बुराइयों को नहीं कहते हैं जो लोग चले जाते हैं, उनकी बुराइयों को नहीं देखा करते हैं। पिछली सरकार के मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री थे और उनकी सरकार में बसपा की भागेदारी थी, कांग्रेस का समर्थन था और हमारा भी समर्थन था। मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े दोषी थे गुण्डाराज के उसके थोड़ा-थोड़ा यह लोग भी थे, क्योंकि उनकी सरकार में भागेदारी थी और हमारा भी दोष था क्योंकि हमारा उनको समर्थन प्राप्त था। तो हम लोगों का भी दोष था, लेकिन समय-समय पर जो बुराइयां थीं, उनकी ओर उनको इंगित करते रहे, लेकिन आज मायावती जी मुख्य मंत्री बनी हैं, हम उनको जब बधाई देते हैं, तो सोचते हैं कि उनको एक छोटे पद पर बधाई दे रहा हूं। मैं उनको उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में बधाई दे रहा हूं। आज वह इस प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं, उनको यह पद मिला है वह पद संवैधानिक पद है।

मान्यवर, इस प्रदेश में जो पिछली सरकार थी उसके समाप्त होने पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, चारो तरफ वातावरण शांत हुआ है। पिछली सरकार में लोकतंत्र के चारो स्तम्भों पर हमला हुआ हमने उनको आगाह किया और उंगली उठाई, लेकिन वह सारी बातों को भूलते गये और उसका फल यह हुआ कि मुलायम सिंह की सरकार से बसपा ने समर्थन वापस ले लिया और ऐसी स्थिति में हम अपेक्षा करते थे कि वह अपना इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और एक ऐसी घटना हमारे प्रदेश के इतिहास में हो गयी, जिसकी जितनी निन्दा की जाये वह कम है। मीराबाई गेस्ट हाउस में जो घटना हुई उसकी जितना निन्दा की जाये वह कम है। उस समय मैं उम्मीद करता था कि मुलायम सिंह यादव अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और एक अच्छे वातावरण में इस प्रदेश में नई सरकार बनाने को मिलेगा और जिसको जन-प्रतिनिधि चाहेंगे, उनकी सरकार बनेगी। लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ इसके बाद एक न एक नया नया खेल होता रहा। इस विधान.सभा के स्पीकर भी उस खेल में शामिल होते रहे। सबसे खतरनाक बात यह है कि समर्थन वापस लेने के बाद जो आचरण इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके दल ने और उनके दल के स्पीकर साहब ने किया वह बहुत खतरनाक है उसकी निन्दा की जाय वह कम है ।

मान्यवर, जब इस प्रदेश में सरकार बनी थी, तो हमने सपना देखा था कि दलितों को, अल्पसंख्यकों को और पिछड़ों को बढ़ाने के लिए सरकार बनी है लेकिन वह सपना आपस की लड़ाई में पूरा नहीं हुआ । मान्यवर, इलाहाबाद के अंदर हमारे एक दलित समाज की बहन को नंगा किया गया था तो हम लोगों ने इस पर चिन्ता व्यक्त की थी । मैंने उस वक्त कहा था कि यह औरत नंगी नहीं हुई । यह पुलिस ने इस औरत को नंगा किया है उसके तन पर वस्त्र नहीं थे । उसका शरीर ढका हुआ नहीं था । एक धोती ही थी वही सारा शरीर ढक रही थी । ब्लाउज नहीं था और किसी चीज के लगने से धोती शरीर से हट गयी थी । मान्यवर, मैं तो समझता था कि यह सरकार भूखों के लिए कुछ काम करेगी जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है उनके लिए कुछ काम करेगी ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लाल बत्ती जला रहे हैं । मैं पुरानी बुराइयों को दुहराकर ज्यादा समय बरबाद न करते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता को माननीया सुश्री मायावती से बहुत उम्मीदें हैं पिछले समय में जब से इन्होंने सत्ता सम्भाली है तब से अभी तक सारा समय इधर ही लगा रहा है । मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में हजारों हजार मौते लू से हुई हैं । मान्यवर, प्रदेश में विद्युत का संकट है और इससे किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है । हमारे प्रदेश में इस सत्ता परिवर्तन के दौर में भी किसी तरह की गुंडागीरी कम होती नजर नहीं आ रही है । मैं मुख्य मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि आज विश्वास मत हासिल करने के बाद जो प्रदेश की ज्वलन्त समस्यायें हैं उनकी तरफ ध्यान देंगी और उनको हल करेंगी ।

मैं जैसाकि जगदम्बिका पाल जी ने कहा इस सरकार के बारे में और इसके समर्थन के बारे में, यह सही है कि हमारे दल ने मुख्य मंत्री बनने पर आपका समर्थन किया और यहां तक कि हमारे दल ने केन्द्रीय नेताओं के निर्णय को भी बदलवाया, अध्यक्ष से बर्खास्त हुए हमने कहा कि हम मायावती जी को चाहते हैं कि वह इस प्रदेश की बागडोर संभालें और एक छाप पड़े कि एक दलित वर्ग की महिला इस प्रदेश के शासन को मजबूती से चला सकती है । हम भाजपा से भी उम्मीद करते हैं इस बात की कि कथनी और करनी में अन्तर न रखें, जो कह रहे हैं वही करें । मैं देखता हूं कि पिछले दिनों से प्रदेश में जो कहते हैं कि गुंडाराज खत्म हो रहा है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि पहले ये लोग डरे-डरे रहते थे कल्याण सिंह जी भी बोल नहीं पाते थे लेकिन आज डंग साहब भी बोले ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, भाजपा की जो विचारधारा है वह सब को मालूम है, विचारधारा अलग-अलग है और तालमेल भी विचित्र है लेकिन यह पीला-पीला कपड़ा ओढ़े हैं जैसे धार्मिक अनुष्ठान यहां पर हो रहा है।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस में यह देख रहा हूं..

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

किरनपाल सिंह जी आप कृपया बैठ जायें।

श्री किरनपाल सिंह–

यह जो पहन कर आये हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, यह उस सत्ता पर आक्रमण करने के लिये पहन कर आये हैं ? इस तरह की नौटंकी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप कृपया अब बैठ जायें।

श्री किरनपाल सिंह–

हम लोग राजनीति के लिये यहां आये हैं, जनता के मुद्दों को उठाना है, जनता की तकलीफों को समाप्त करने की बात उठानी है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय काशी राम जी भी इसे महसूस कर रहे होंगे।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रंगनाथ मिश्र–

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय प्रमोद तिवारी जी।

श्री किरनपाल सिंह–

अभी मेरी बात पूरी नहीं हो पायी है। मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं निरंकुश न हो जायें दूसरे को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, कल चुप बैठे हुए थे। (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह जो सरकार है, हमारा नैतिक समर्थन है। आपको हमारा नैतिक समर्थन है। वोट में भले ही हिस्सा न लें। हमें आशा है कि आप सभी की भलाई के लिये काम करेंगी।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं आपका कि जब एक नया इतिहास लोकतंत्र में लिखा जा रहा है उस समय आपने मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ़ से बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं अपने दल की ओर से नवनिर्वाचित मुख्य मंत्री नेता सदन सुश्री मायावती जी को हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनायें अर्पित करता हूं । उनके नेतृत्व में प्रदेश तरक्की की ओर चले, अराजकता समाप्त हो और स्थिरता आये ।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो भी माननीय तिवारी जी कह रहे हैं उसे शांतिपूर्वक सुनें । आपके नेता, अभी नेता सदन के अपने विचार व्यक्त करने का मौका आयेगा तो तर्क का जवाब तर्क से दिया जाय तो वाद-विवाद में अच्छा आयेगा । मेरा पुनः आपसे अनुरोध है । माननीय तिवारी जी संक्षेप में अपनी बात कहें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से ज्यादा और कोई प्रसन्न नहीं हो सकता इस पद पर किसी दलित महिला को देखकर । आज आपका दलित प्रेम जागा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में तीन-तीन बार मुख्य मंत्री बनाने का मौका मिला था तब उन्होंने क्यों नहीं किसी दलित महिला को बनाया, उत्तर प्रदेश में मौका क्यों नहीं दिया, हिमांचल में मौका क्यों नहीं दिया ? आज मजबूरी में जब दलित महिला मुख्य मंत्री बन गयीं तब उसका समर्थन कर रहे हैं । यह तो वही कहावत हो गयी कि एक साहब बचते-बचते चले जा रहे थे, स्लिप करके कीचड़ में गिर गये पानी में गिर गये और कहने लगे हर-हर गंगे । तो यही हाल भारतीय जनता पार्टी का भी है आज वह मुलायम सिंह यादव से बचने के लिए सुश्री मायावती जी के चरणों में झुक गये हैं । इन्होंने अगर दलित से प्रेम था तो क्यों नहीं राजस्थान में दलित व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाया ?

(व्यवधान)

मान्यवर, अब यह हमको बोलने नहीं दे रहे हैं । हमने तो इनका भाषण बड़े ही धैर्य से सुना था ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग कृपया वापस जायें । सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया शांति बनाये रखें ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब हमारे नेता बोल रहे हैं तो उन्हें धैर्यपूर्वक सुना जाये । जब यह लोग बोल रहे थे तो हम लोग भी धैर्य से सुन रहे थे । इस तरह से हाउस नहीं चल सकता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

तो मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कह रहा था कि इन्होंने दलित प्रेम कभी नहीं दिखाया । हमें जब भी मौका मिला हमने किया । राजस्थान में श्री पहाड़िया और श्री टी० अनझैया को मुख्य मंत्री बनाया । आज हमारा नैतिक साहस है और हम दलित महिला का स्वागत करते हैं, अभिनन्दन करते हैं। आपने मत नहीं दिया हमने दिया । 1991 में जब चुनाव हुआ था आपकी सरकार बनी थी । 6 दिसम्बर की दुखद घटना घटी और दोबारा आपने जनादेश मांगी लेकिन उस समय आपकी सरकार नहीं बन पायी और गठबंधन की सरकार बनाकर 95 तक हमने समर्थन दिया था । हमने मुलायम सिंह यादव जी को समर्थन नहीं दिया था बल्कि कांशीराम जी को जो बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ने हमारे प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव जी से बात की थी और उन्हीं के कहने पर हमने समर्थन दिया था और यह समर्थन सिर्फ हमने ही नहीं दिया बल्कि अन्य दलों ने भी दिया था यह इसलिये कि उत्तर प्रदेश बहुत जल चुका था । जो 6 दिसम्बर की घटना घटी थी उसको दृष्टिगत रखते हुए हम उसे दोबारा सत्तासीन होना देखना नहीं चाहते थे इसलिये समर्थन दिया । आज मैं फिर यह दोहराना चाहता हूं कि यदि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी को तोड़ दें तो हम उनको फिर से समर्थन दे देंगे और उन्हें मुख्य मंत्री के पद पर रहने देंगे । चलिये मुख्य मंत्री तो नहीं दिया । मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी आप कहेंगे कि 40 साल से ज्यादा तो आप शासन में रहे । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की धरती को आपने दलित वर्ग का मुख्य मंत्री दिया, दलित वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी दिया है, क्या दलित वर्ग का अध्यक्ष ढूंढें नहीं मिला । अगर किसी दलित वर्ग के व्यक्ति को बना देते और आज इस महिला का स्वागत करते तो आपकी आवाज में दम होता, वरना यह आपकी मजबूरी है।

मैं सिर्फ दो-चार प्रकरण आपके सामने रखना चाहता हूं इस पर आप साफगोई से बताइयेगा । मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र है, जो 1993 का है, इसकी प्रथम पंक्ति पढ़ लीजिये, आपने जनादेश मांगा था, अयोध्या मंदिर के मुद्दे पर, इन्होंने कहा कि न्यायालय में फैसला हो या न हो, यह हमारी प्रतिबद्धता है । मैं आपकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिनके समर्थन से आप बनी हैं, अयोध्या प्रकरण पर आपके क्या विचार हैं, अगर आपके विचार बदले हैं तो यह भी अपने विचार से बदल लें । कल्याण सिंह जी, इसी सदन में बैठकर आप मायावती के खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव लेकर आये थे, मैंने तो कभी नहीं रखा, लेकिन आपने रखा था ।

मान्यवर, दिनांक 17 मार्च, 1994 की कार्यवाही के पृष्ठ 93 पर छपा है, कल्याण सिंह जी ने कहा था कि मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध करता हूं इस निन्दा के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित होने दीजिये और मैं नियम 311 की ग्राह्यता पर बल देता हूं और इस तरह के बयान की भर्त्सना करता हूं जो बसपा की महामंत्री सुश्री मायावती, जिन्होंने पूज्य महात्मा गांधी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है ।

कल तक नारा लगाते थे जय श्रीराम, आज नारा लगा रहे हैं, जय मायावती, आखिर कौन सी मजबूरी है आपकी ? मान्यवर, यहां एक सदस्य आजमगढ़ के श्री बरखूराम वर्मा बैठा करते थे, उन्होंने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी वालों से एक सवाल पूछा था, मैं उस सवाल को दोहराये देता हूं । उन्होंने कहा था कि इस विधान सभा में आपने यहां बैठकर कहा था, तिलक, तराजू और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तलवार का नारा किसने दिया ? कल्याण सिंह जी ने यह भी कहा था कि [× × ×] मैं पूछना चाहता हूं कि आज अल्पसंख्यक डरे हुए हैं, आप सरकार में आयी हैं, आपकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन जिन्होंने यह नारा दिया था, जो विधान सभा की कार्यवाही में अंकित है, उनके बारे में कहां तक परिवर्तन हुआ है, ऐसे सवाल आज मुझे चिन्तित कर रहे हैं, इन सारे सवालों के बारे में आपका उत्तर जानना चाहता हूं। हम यह भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1993 का चुनाव क्यों हुआ था, जबकि आप 5 वर्ष के लिये चुनकर आये थे, इसका सिर्फ एक ही कारण वह घटना थी, जो 6 दिसम्बर को घटित हुई थी, जिसके लिये उत्तर प्रदेश सहित 4 सरकारों को बर्खास्त किया गया था, आप तो जनादेश मांगकर लाये थे, क्या यही जनादेश था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसको धोखा आप दे रहे हैं, जिन्होंने 6 दिसम्बर की घटना पर आपको जनादेश दिया था, या आप को मायावती धोखा दे रही हैं, दोनों में से एक कोई जरूर धोखा दे रहा है, यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा, लेकिन अगर आप 6 दिसम्बर के गुनाहगारों को सजा देने का ऐलान करेंगी तो हम आपके साथ अवश्य खड़े होंगे।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

श्री तिवारी जी अब समाप्त करें पन्द्रह मिनट का समय हो चुका है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे 10 मिनट का समय और दिया जाये।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैंने आपके ही अनुरोध को स्वीकार किया था और आपने 15 मिनट का समय मांगा है वह हो चुका है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जो चिन्ता और परेशानी है वह उत्तर प्रदेश सरकार के अस्तित्व के सवाल का है, 16 करोड़ लोगों का सवाल है। मैंने तो कह दिया है और आज फिर वही बात कह रहा हूं कि मतदान नहीं करूंगा। लेकिन क्या कल्याण सिंह में नैतिक साहस है कि यहां खड़े होकर और कहें कि इस विधान सभा सत्र में साढ़े तीन साल बचे हैं और मैं साढ़े तीन साल आपको समर्थन करने का वायदा करता हूं। इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत में खोट नहीं है तो जब तक आप अच्छा काम करेंगी, आपका साथ देंगे। यह बात मैंने सुनी है, पढ़ा भी है। इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में और भारत की पार्लियामेंट में हलफनामा दिया गया उसको भी देखा है। यहीं विधान सभा में इन्होंने वायदा किया। एन० आई० सी० में वायदा किया लेकिन उन सबका गला घोंट दिया। अगर इनका धर्म-कर्म में विश्वास है तो कहें कि विधान सभा में बाकी बचा साढ़े तीन साल आपकी सरकार के नाम है, तो मैं मान जाऊंगा कि इनकी नीयत में खोट नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वही इतिहास दोहराया जायेगा। अयोध्या का मुद्दा मर जाने के बाद आपका भविष्य मरा हुआ है, अब एक मुद्दा ढूंढने के लिये सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन जहां मुद्दा मिला यह छोड़कर चले जायेंगे। जब यह छोड़कर जायेंगे तो फिर सेक्युलर ताकतें मुकाबला करेंगी।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

श्री तिवारी जी, अब आप समाप्त करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

समाप्त करने का मन नहीं है। मान्यवर, आज हर सरकार दलितों की राजनीति से चलती है। आज अखबारों में मैंने एक बयान पढ़ा है। मान्यवर, अखबारों में एक बयान कांशी राम जी का निकला है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मन से समर्थन नहीं दिया है यह तो उन्होंने मजबूरी में दिया है। लेकिन सवाल है कि यह मजबूरी कितने दिनों तक चलेगी यह उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आज उन्होंने हमको दुश्मन नम्बर–एक और आपको मनुवादी नम्बर 2 कहा है। आपकी कौन ऐसी मजबूरी है कि आप अनुवादी होते हुए भी समर्थन दे रहे हैं और यदि देंगे तो कब तक देंगे ? एक सवाल मायावती जी आपसे भी है। आपसे विनम्र निवेदन है, आप दलित महिला के रूप में आयी हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। आप तो उस समय इस विधान सभा की सदस्य न थीं और न इस विधान सभा की सदस्य लेकिन ये लोग सदस्य थे। भारत की संसद में गृह मंत्री जी ने बयान देते हुए स्वीकार किया था कि 1991 से 1993 के बीच में कल्याण सिंह जी की सरकार के समय में भारतवर्ष में अगर कहीं सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न हुआ है तो उत्तर प्रदेश सरकार के अन्दर हुआ है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

यह गमछे का असर है, ये सब कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मायावती जी, मुझे आप पर विश्वास है कि आप महिला हैं और दलित वर्ग से जुड़ी हुई हैं। यदि अब उन पर उत्पीड़न होता है तो आप कानूनी कार्यवाही करेंगी। लेकिन जब आप कानूनी कार्यवाही करें तो 1993 की सीमा को पारकर 1991 में भी जायें जिनके राज्य में दलितों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है और इन्होंने दलित और महिला उत्पीड़न का कीर्तिमान बनाया है। अगर भारत की संसद में यह बयान गृह मंत्री जी के न हों तो मैं यह चुनौती स्वीकार कर लूंगा। पुरानी सरकार के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। पहले एक बात यह कहना चाहता हूं कि सहारनपुर से एक बयान छपा है माननीय श्री कल्याण सिंह जी का। जिसमें उन्होंने कहा कि मायावती जी पहले खराब थीं क्योंकि वह संगत का असर था, मुलायम सिंह जी की संगत का असर था, अब वह हमारे संगत में आ गयी हैं, इसलिये ठीक हो जायेंगी। एक नेता ने यह बयान दिया है कि बड़े जहर को मारने के लिये छोटे जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तो पहले से ही मान बैठे हैं कि छोटा जहर है। इसलिये आप इनकी नीयत को समझ लीजिये।

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इनकी संगत से आप में सुधार आने वाला नहीं है, आप इनसे बेहतर हैं। आपकी संगत से ये सुधर जायें तो निश्चित रूप से आपको धन्यवाद दूंगा और आपके प्रति आभार प्रकट करूंगा। अन्त में मैं एक बात पुरानी सरकार के बारे में कहना चाहता हूं कि पुरानी सरकार श्री मुलायम सिंह जी की गई और पूरे उत्तर प्रदेश ने एक सुकून की सांस ली। हमने उस सरकार को समर्थन दिया था, समर्थन इस बात के लिये नहीं था, हम उनकी सत्ता में शामिल नहीं थे।

मायावती जी आज आपको आफर दिया गया है इसी प्रकार का आफर जनता दल और कांग्रेस पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया था परन्तु हमारी कुछ नीतियां हैं और सिद्धान्त हैं। मुलायम सिंह जी अगर गये तो अपनी अराजकता की वजह से गये, पंचायती राज चुनावों में धांधलियों की वजह से गये, लोकतंत्र की हत्या करने की वजह से गये, प्रेस पर अत्याचार करने की वजह से गये, विधायकों पर अत्याचार करने की वजह से गये, कानून का उन्होंने पालन नहीं किया, इसकी वजह से उनकी सरकार गई।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय श्री प्रमोद जी आप बैठ जायं। मैंने श्री कल्याण सिंह जी को बुला लिया है।

(मेजों की थपथपाहट की आवाज)

* श्री कल्याण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक दिन पर सरकार के पक्ष में विश्वास मत के अवसर पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बात को संक्षेप में पूरा करूं परन्तु कुछ समस्यायें आ गयी हैं और कुछ सवाल ऐसे खड़े कर दिये गये हैं, जिनका उत्तर देना आवश्यक हो गया है। तीन जून, 1995 तथा आज 20 जून, 1995 इन दो तारीखों को उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक तिथि मानता हूं। तीन जून, 1995 को तीन घटनायें एक साथ घटित हुई, श्री मुलायम सिंह की सरकार का पतन, दूसरा मायावती जी की सरकार का गठन और इस सरकार को बी० जे० पी० का समर्थन। आज दो घटनाओं में से एक घटना घटित हो चुकी है और दूसरी घटित होने जा रही है। पहला, पूर्व अध्यक्ष द्वारा जो अध्यक्ष की पीठ की गरिमा को घटाने का जो काम किया गया था, उन्हें हटाने का संकल्प पारित हुआ, दूसरा इस सरकार को विश्वासमत पर मतदान होगा, मुझे आशा है आशातीत बहुमत इस सरकार को प्राप्त होगा। ये दोनों ही घटनायें हमारे लिये बहुत ही ऐतिहासिक हैं।

श्रीमन् हमसे एक सवाल किया गया समर्थन दे रहे हैं, मैं लौटकर उनसे सवाल करना चाहता हूं कि वे क्यों समर्थन नहीं दे रहे हैं ? हमारा सीधा सादा आधार है कि उत्तर प्रदेश में एक जन विरोधी सरकार कायम हो गयी थी, जनता विरोधी सरकार कायम हो गयी थी, संविधान विरोधी सरकार कायम हो गयी थी, गांव विरोधी सरकार कायम हो गयी थी, गरीब विरोधी सरकार कायम हो गयी, किसान विरोधी सरकार कायम हो गयी थी, उत्तर प्रदेश में बलात्कारी सरकार कायम हो गयी थी, नरसंहारी सरकार कायम हो गयी थी, घोर अहंकारी सरकार कायम हो गयी थी, निकृष्ट सरकार कायम हो गयी थी, फासिस्ट सरकार कायम हो गयी थी उससे जनता को निजात देने के लिये निश्चित रूप से, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिये, उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिये, उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं को सम्मान देने के लिये सत्ता परिवर्तन आवश्यक था इसलिये हमने समर्थन दिया है। मैं इस अवसर पर बसपा नेता माननीय कांशी राम जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह जी को बहुत दिन ढोया है और एक दिन आया कि उन्हें भी एहसास होने लगा कि उनकी सरकार को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बचाये रखना प्रदेश की महान जनता के हितों के विरुद्ध है और उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और सपा से नाता तोड़ लिया। मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं अपनी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, श्रद्धेय अटल जी को, श्रद्धेय अडवानी जी को, श्रद्धेय जोशी जी को, श्रद्धेय भण्डारी जी को क्योंकि उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हुई हालात को समझा और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने जो उनसे आग्रह किया कि हमें नयी सरकार का समर्थन करना चाहिए। हमारी उस भावना के समर्थन में हमारे नेतृत्व में अपने निर्णय को दिया।

श्रीमन् सब जानते हैं, सब कह चुके हैं कि प्रदेश में कानून राज्य समाप्त हो गया था, जंगल राज्य कायम हो गया था, लुटेरा राज्य कायम हो गया था, पिंडारी राज्य कायम हो गया था और जनता उस सरकार से त्राहि-त्राहि कर उठी थी। अपराधी भयमुक्त हो गये थे और जनता भयभीत होकर भयाक्रांत हो कर जी रही थी, जमीनों पर कब्जा करने और मकानों को हड़पने का अभियान चल रहा था, कानून की धज्जियां उड़ा दी गयी थी। श्रीमन्, इस प्रदेश के अन्दर जातिवाद का जहर बो दिया गया था, समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। इस सम्मानित सदन के अन्दर कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर और बाह्य ताकतें देश को तोड़ने की कोशिश में लगे थे और माननीय मुलायम सिंह जी उन आंतरिक और वाह्य ताकतों के साथ सांठ-गांठ कर चुके थे जो इस देश को तोड़ने का कुचक्र रच रहे थे इसके लिये जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे तो उसे नाकाम करना था।

लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं उनको तोड़ने का पूरा प्रयास हो रहा था 16 दिसमबर, 93 की घटना इसकी तरफ इशारा करती है। यहां भाजपा के विधायकों को लहू लुहान किया गया, यह केवल भाजपा के विधायकों का खून नहीं बहाया गया बल्कि इस सदन में विधायिका का खून बहाया गया।

जातीयता के आधार पर पूरे प्रशासनिक तंत्र को बांटने का कार्य किया गया और कार्यपालिका को निष्प्रभावी बना दिया गया, कार्यपालिका का मनोबल तोड़ा गया। फिर 13 सितम्बर, 94 को पूरे प्रदेश भर में तनाव पैदा किया गया और बंद के नाम पर जो कुछ हुआ वह सब जानते हैं, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अन्दर उन्होंने तो कुछ गुण्डे बदमाश भेजकर न्याय के मंदिर पर आक्रमण कराया था। मुख्य न्यायाधीश अपना कमरा छोड़कर न भाग गये होते तो कदाचित उनकी हत्या कर दी जाती। प्रेस जो लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है लेकिन इसके ऊपर हल्ला बोलकर उसका गला घोंटने की कोशिश की गयी। इसी तरह राज्य के कर्मचारियों के विरुद्ध हल्ला बोला गया और उसमें 17 जानें ले ली गयी। श्रीमन्, लोकतंत्र से जिस दिन जनता का विश्वास हट जायेगा और जनता अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगी उस दिन प्रदेश के अन्दर अराजकता की स्थिति पैदा हो जायेगी और देश की जनता अपने संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिये रास्ते में निकल आयेगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि वह दुर्दिन न आयें जिससे सरकार को हटाया जाय और नयी सरकार का गठन किया जाय। इसलिये उन हालातों को देखते हुए हमने इनको समर्थन दिया।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार के बारे में आज समय नहीं है कि हम कुछ कह सकें लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि चाहे चीनी मिलों को बेचने का मामला हो, आयुर्वेदिक औषधियों को बेचने का, नहरों की सफाई का मामला हो जिसमें 62 करोड़ रुपया निकल गया और नहरों की सफाई नहीं हुई। इसी तरह ट्रांसफर पोस्टिंग को एक व्यवसाय बना लिया गया और करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ। श्रीमन्, चीनी मिलें बेची गयी जेलें बेचने का नम्बर आया, रोडवेज स्टेशनों और बिजली घरों को बेचने का इरादा बनाया गया था और यदि श्री मुलायम् सिंह मुख्य मंत्री होते तो वह एक न एक दिन उनको बेचने के साथ ही साथ इस विधान भवन को भी बेच देते। इस प्रकार जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था उस सरकार का बने रहना

हमने उचित नहीं समझा और खुलकर नयी सरकार के गठन का इरादा किया इसलिये हमने इनका समर्थन किया है।

श्रीमन्, उस समय विकास के सारे कार्य अवरुद्ध हो गये थे और केवल इटावा जिले में सैफई गांव का और बाराबंकी जनपद मे मसौली गांवों का विकास किया गया। सैफई और मसौली को छोड़कर उ० प्र० के एक लाख 12 हजार 65 गांवों के लोगों को रेत दिया और विकास के काम कहीं भी नहीं किये गये। इस तरह उनके समय में उ० प्र० 15 साल पीछे हो गया था। मान्यवर, हम यह भी चाहते हैं कि समाज के अन्दर समता ममता और लोगों को न्याय मिले। यह हमारा संकल्प रहा है, जिसके नाते हमने उस सरकार के पतन में और इस सरकार के गठन में भरपूर तरीके से सहयोग दिया।

श्रीमन्, मैं उस वास्तविकता की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके संबंध में दूसरे दलों के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। भाजपा ने इस सरकार का समर्थन किया है और बिना शर्त समर्थन किया है लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा साम्प्रदायिक पार्टी है, उससे बसपा का मेल मिलाप हो गया है जो ठीक नहीं है किन्तु हम सहयोग दे रहे हैं लेकिन भाजपा जब समर्थन दे रही है तो वह कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। तो आपके सहयोग देने से क्या होता है। वह कहते हैं कि हमारा पूरा सहयोग है, यह भाषा बोलकर वह लोग इस सरकार से केवल सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप खुलकर बोलें। और कहें कि सरकार के पक्ष में मत देंगे। अन्यथा थोड़े समय बाद ही आप लोग बेनकाब हो जायेंगे।

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। 1967 में प्रदेश में संविद सरकार बनी थी, उस समय की याद दिलाना चाहता हूं आज जो भाजपा से परहेज की रेखाएं खींचने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कि संविद की उस सरकार में हमारे साथ तत्कालीन प्रदेश कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री झारखंडे राय भी हमारे साथ थे और उनके साथ हम प्रदेश में कंधे से कंधा मिलाकर नीतियों का संचालन करते थे और प्रदेश का प्रशासन चलाते थे, तब क्या जनसंघ या भाजपा साम्प्रदायिक नहीं थी। जब वी० पी० सिंह ने अपनी सरकार के लिये भाजपा का समर्थन प्राप्त किया, तब क्या भाजपा सामप्रदायिक नहीं थी ? जब चन्द्र शेखर जी ने.....(व्यवधान)..... हमारी पार्टी का समर्थन लिया, तब क्या भाजपा साम्प्रदायिक पार्टी नहीं थी ? यहां बैठे हुए मुलायम सिंह होते तो उनको मैं बताता, जब उन्होंने हमारा समर्थन प्राप्त किया, तब भाजपा साम्प्रदायिक नहीं थी ? जब 1971 में बंगला देश के साथ लड़ाई थी तो हमारी स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमारा उस समय जनसंघ था, सहयोग सहायता प्राप्त किया, तब क्या जनसंघ साम्प्रदायिक नहीं था ?

श्री प्रमोद तिवारी–

किस नाम पर ?

श्री कल्याण सिंह–

आन्तरिक सुरक्षा के नाम पर .....(व्यवधान)..... श्रीमन्, जब भारत का मामला फंसा विदेशों में, तब भाजपा के नेता माननीय अटल बिहारी बाजपेई जी को जेनेवा में भारत का पक्ष सही और दृढ़ता से रखने के लिये भेजा गया, तब भाजपा साम्प्रदायिक नहीं थी ? कोई जवाब है आपके पास। आप यह भाजपा का बड़प्पन देखिये कि वैचारिक मतभेदों के होते हुए भी, जब उसको देश की आवश्यकता के लिये बुलाया गया तो माननीय अटल जी भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेता बनकर

जेनेवा गये और वहां उन्होंने अपनी योग्यता से भारत की गौरव और गरिमा को बढ़ाया। जहां देश की रक्षा का सवाल होगा, उसकी मान मर्यादा का प्रश्न होगा छोटे-मोटे वैचारिक भेदों को लात मारकर आगे आकर हम मिलकर काम करेंगे। जब उन्हें जेनेवा भेजा गया तब वह साम्प्रदायिक नहीं थे। जब राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत विभाजन के समय साम्प्रदायिक मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके और देश के टुकड़े-टुकड़े करा दिये, तब क्या वह साम्प्रदायिक नहीं थी। जो मुस्लिम लीग देश के विभाजन के लिये पूरी तरह जिम्मेदार थी, उसी मुस्लिम लीग के साथ केरल में आपने सरकार बनायी, क्या आपने इस तरह से साम्प्रदायिकता के विष को प्रश्रय नहीं दिया था ? क्या मिजोरम के अन्दर अलगाववादी ईसाइयों को खुश करने के लिये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह लिखकर नहीं दिया था कि तुम हमको अपने वोट दो और अपनी सरकार बन जाने पर तुम्हारे लिये बाइबिल के अनुसार प्रशासन चलायेंगे। क्या शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो एक ऐतिहासिक निर्णय दे दिया था, जिसे साम्प्रदायिक ताकतों के हाथो में आपने खेलकर निष्प्रभावी बना दिया कि यदि कोई मुसलमान आदमी अपनी पत्नी को तलाक दे दे तो पति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे। आपने उन ताकतों के सामने घुटने टेककर सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक निर्णय को भी उलट दिया।

(समय 4 बजकर 5 मिनट)

(शेम-शेम की आवाजें)

श्रीमन्, जब आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाय कि देश के सभी नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता चाहिए आज आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं यह है इनका राष्ट्रवादिता का द्योतक। किसी और की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी नजर डालकर देख लेना चाहिए।

श्रीमन्, आज यह कहा जा रहा है कि मायावती जी आप भा० ज० पा० से नाता तोड़ लें। बी० जे० पी० समर्थन दे रही है, ले नहीं रही है। प्रदेश को बचाने के लिये, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाये रखने के लिये समर्थन दिया है। आप बत्तीस लोग मिलकर भी मायावती जी को मुख्य मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा सकते। जिनके साथ केवल चार लोग हैं वह भी कह रहे हैं कि भाजपा का समर्थन क्यों ले रहे हैं ? मैं जानता हूं कि यह सच्चाई क्या है। यह किसी दलित वर्ग की महिला को प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा नहीं देख सकते। यह इनको पच नहीं रहा है। भाजपा को साम्प्रदायिक कह रहे हैं। श्रीमन्, हमने कोई नया काम नहीं किया है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय हमारे नेता रहे हैं। उनकी हत्या हो गयी है। उनका यह सोच था दरिद्र नारायण सेवा समाज की निचली सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति का उत्थान हो। उन्होंने कहा था कि दलितों को सम्मान और स्थान, हमारी नीति रही है। आज हमने जो भी निर्णय लिया है काफी ठोस आधार पर लिया है, अवसरवाद के आधार पर नहीं लिया है। जिन्होंने मुलायम सिंह के समय में लालबत्ती लगाकर मंत्री का पद लिया वही आज मायावती की सरकार आने पर उनकी चाटुकारिता में लगे हुए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहियेगा यह दोस्त नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों का शकुनि मामा का रोल है उनसे भी सावधान रहियेगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता। दो बातें कहना जरूरी समझता हूं। अभी प्रमोद तिवारी जी ने जनादेश की बात कही। दलितों में से कोई मुख्य मंत्री बना तो खुशी होनी चाहिए। कांग्रेस इतने दिनों से शासन कर रही है क्या दलितों में से इस लायक कोई व्यक्ति नहीं था कि एक बार किसी दलित को प्रधान मंत्री बना देते। हमने तो इस सरकार को समर्थन देकर दलित वर्ग की महिला को मुख्य मंत्री जैसे पद पर बैठाया है। आप जनादेश की बात करते हैं। इलेक्शन में हमको कितने वोट मिले ? हमको जनादेश नहीं मिला, इनको

मिल गया था श्रीमन्। हमको तो जनादेश नहीं मिला क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी चुनकर आये। यह तो लौटकर अट्ठाइस रह गये। अगले आने वाले चुनाव में देखिये आठ का अंक क्रास भी कर पायेंगे कि नहीं। जनादेश की बात करते हैं आंध्र प्रदेश में चलिये जहां के हमारे प्रधान मंत्री जी हैं वहां देखिये 25 पर ही टिके रह गये। कर्नाटक की ओर चलें। कर्नाटक में सत्ता में थे। सत्ता से हटने के बाद नम्बर दो पर नहीं आये तीन पर चले गये। नम्बर दो पर बी० जे० पी० है। गुजरात की ओर चले वहां की जनता ने दो तिहाई बहुमत बी०जे०पी० को दिया है। महाराष्ट्र की ओर चले वहां बीजेपी और शिवसेना की सरकार के बहुमत ने कांग्रेस को साफ कर दिया है। चलना है तो बिहार की ओर जनादेश देखो, यह ठीक है कि जनता दल की सरकार बनी है आप तो नम्बर दो से हट गये तीन पर बैठ गये। हमको वहां की जनता ने दो का स्थान देकर रास्ता साफ कर दिया और यह बता दिया कि भाजपा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जनादेश देखना है तो इसमें देखें। श्रीमन्, संविधान तोड़ने की बात कही जा रही है हमने कोई संविधान नहीं तोड़ा ।

(व्यवधान)

हमने कोई संविधान नहीं तोड़ा। भाजपा का चरित्र तो यह रहा है कि जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। यदि कोई मुख्य मंत्री पद पर भी लात मारने की बात आती है तो वह भी कर देते हैं।

(व्यवधान)

मैं बताना चाहता हूं जिम्मेदार हैं तो नरसिम्हा राव जिम्मेदार हैं। साधू सन्तों से बात करने के लिये चार महीने का टाइम मिला वह साधू-सन्तों में फूट डालने का काम करते रहे। गृह मंत्री चव्हाण साहब ने पूछा और न सलाह ली।

(व्यवधान)

195 कम्पनी लगा दीं और छावनी बना दिया जिससे आक्रोश बढ़ गया।

श्री प्रमोद तिवारी–

सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

आक्रोश बढ़ता चला गया। हाईकोर्ट की खंडपीठ के द्वारा कहा गया कि 6 दिसम्बर, 1992 के पहले निर्णय आ जाये उसमें देरी हुई वह 11 दिसम्बर, 1992 को चला गया। यह सारी परिस्थितियां ढांचे के टूटने के लिये हुईं। हमने तो ढांचे की सुरक्षा का पूरा इन्तजाम किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका पालन किया केन्द्र सरकार ने जो निर्देश भेजे हमने उसके अनुसार ढांचे की सुरक्षा का पूरा इन्तजाम किया।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

फिर कैसे हो गया। जब सुरक्षा का इंतजाम था।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

वह भी बताते हैं। सुरक्षा के पक्के इंतजाम तो इन्दिरा गांधी जी के लिये भी किये गये थे फिर दोषी कौन बना ? स्वर्गीय राजीव गांधी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे फिर दोषी कौन बनेगा ?

(व्यवधान)

हमने तो जनता का भी सम्मान किया, संविधान का भी सम्मान किया हमने कोई अवहेलना नहीं की है। आज फिर कहना चाहता हूं हम चाहते हैं कि यह सरकार चले बेहबूदी से चले। हमने तो गुण्डाराज्य को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है प्रदेश से गुण्डागर्दी समाप्त होनी चाहिये। समता और ममता के आधार पर समाज को आगे बढ़ना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मायावती ने संकेत दिया मैं एक शब्द को बहुत बड़ा मानता हूं उन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाजवादी पार्टी की महासचिव थी पहले उसके उत्थान की जिम्मेदारी थी आज इतने बड़े प्रदेश की मुख्य मंत्री बन गई हूं अब पूरे प्रदेश की पूरे समाज के उत्थान की जिम्मेदारी मुझ पर है यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार बहुत दिनों तक चलेगी।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

कब तक चलेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जब तक मायावती चाहेंगी तब तक चलेगी।

(मेजें थपथपाई गईं)

आप शकुनी की भूमिका निभा रहे हैं यह सही नहीं है फैसला साफ-साफ करें।

(व्यवधान)

थोड़ी देर में बाकी लोग बेनकाब हो जायेंगे। कोई एब्सटेन करेगा, कोई बाहर चला जाएगा, कोई यहीं बैठा रहेगा। आज इम्तहान है कि कौन-कौन सदस्य माननीया मायावती की सरकार के विश्वास मत के समय हां के पक्ष में वोट देते हैं, वही सच्चे सहयोगी हैं। बाकी से सावधान रहने की जरुरत है। यह साढ़े नौ बजे सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में डेरा जमाया करेंगे। हमसे प्रमोद तिवारी जी ने पूछा है कि यह सरकार कब तक चलेगी अरे जब तक नरसिंह राव इस सरकार को भंग नहीं करेंगे तब तक यह सरकार चलेगी। इन शब्दों के साथ जो सुश्री मायावती सरकार की मंत्रि परिषद् के प्रति विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसके पक्ष में अपनी बात कह कर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दे रहा रहा हूं। आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मुझ से पूर्व कई दलों के सम्मानित नेताओं ने, आजाद विधायकों ने आज विश्वास मत प्राप्ति के मौके पर अपने विचार रखें हैं और मैंने आप लोगों के विचार बहुत ध्यानपूर्वक सुने हैं। मैं

आपको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जहां तक मेरी सरकार का सवाल है, उसके बारे में मैं आज सदन में स्थिति स्पष्ट करना चाहती हूं। जब सबसे पहले जनता दल पार्टी के नेता भाई श्री राम आसरे वर्मा जी अपनी बात रख रहे थे मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। वैसे मैं आपकी कद्र करती हूं। जो दो तारीख की (2 जून, 1995) घटना घटी, उसकी निन्दा आप लोगों ने प्रदेश स्तर पर की है। लेकिन आपकी पार्टी के केन्द्रीय नेताओं का जो रवैया रहा है, उसकी पूरे देश के दलित, शोषित समाज के लोगों में निन्दा कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि दो तारीख को राजकीय अतिथि गृह में मेरे साथ और मेरी पार्टी के विधायकों के साथ मुलायम सिंह यादव जी के लोग, गुण्डा एलीमेंट किस्म के लोग जोर जबरदस्ती कर रहे थे, उनका अपहरण करने के लिये। इतना ही नहीं, उनकी प्लानिंग थी कि जब मायावती ने मुलायम सिंह जी की सरकार से समर्थन वापस लिया है और इन्होंने गर्वनर साहब से सरकार बनाने की अपील की है । तो इन्हें सबक सिखायेंगे। उस समय श्री मुलायम सिंह यादव जी का, मेरी पार्टी के विधायकों के साथ साथ, मुख्य निशाना मेरे ऊपर था।

आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उस दिन किस किस्म की घटनायें घटी। 2 तारीख को शाम को 4 बजे से लेकर सुबह तक बड़े पैमाने पर गुण्डा किस्म के लोगों ने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, नारेबाजी की और रात भर मेरे दरवाजे और खिड़कियों तो तोड़ने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन उस मौके पर जिन गरीबों, मजलूमों के कार्यों के लिये मैंने अपनी जिंदगी लगाई है, उनकी मेहरबानी थी कि हर किस्म की कोशिश करने के बाद भी अपने इरादे में सफल नहीं हो सके। उस दिन शाम 4 बजे से इस किस्म की घिनौनी वारदात मेरे और मेरे विधायकों के साथ उन्होंने करना शुरु किया, 4 बजे से लेकर रात 1 बजे तक मेरे कमरे की बिजली काट दी, पानी काट दिया, टेलीफोन काट दिया, मैं पूरी रात परेशानी में रही और मुलायम सिंह के गुण्डों का मुकाबला करती रही। मैं जानती थी कि मुलायम सिंह हर किस्म की कोशिश करेंगे, वह नहीं चाहेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश के इतने बड़े आसन पर बैठूं। विश्वसनीय सूत्रों से मुझे मालूम हुआ कि वह मेरी हत्या कराना चाहते थे। (शेम शेम की आवाजें) लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली।

जो 2 तारीख को घटना घटी, उस घटना की जानकारी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को मिली तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रदेश स्तर पर गर्वनर साहब के निवास स्थान पर काफी संघर्ष किया और मेरी सुरक्षा के लिये गर्वनर साहब से बार-बार अपील की। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, खासकर भाई श्री अटल बिहारी बाजपेई जी, उन्होंने 3 तारीख को पार्लियामेंन्ट में, लोक सभा में इस घटना की जोरदार शब्दों में निन्दा की, इतना ही नहीं कई बार लोक सभा की कार्यवाही नहीं चलने दी, उस मौके पर जब अटल बिहारी बाजपेयी जी इस घटना की निन्दा कर रहे थे लोक सभा के अन्दर तो मैं बताना चाहती हूं कि जनता दल के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी इस समय वहां पर मौजूद थे, जैसे राम बिलास पासवान, जो अपने दलितों का नेता मानते हैं और जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं ? मैं मानती हूं कि हर पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की अलग है,, बहुजन समाज पार्टी की अलग है, जनता दल की विचारधारा अलग है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अलग है–लेकिन मानवता और इंसानियत के नाते जो कुछ मेरे साथ घटना हुयी उस मौके पर श्री राम बिलास पासवान को चुप नहीं बैठना चाहिये था। उस मौके पर श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कई बार सदन की कार्यवाही को रोका।

कांग्रेस पार्टी में भी मानवता और इंसानियत में विश्वास रखने वाले लोग हैं। उस मौके पर चौधरी अजीत सिंह, भाई बलराम सिंह यादव जी ने इस बात को प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। मैं आपको

बताना चाहती हूं कि आपके जनता दल पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता श्री राम विलास पासवान, जो सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो उस दिन सदन के अन्दर मौजूद थे, उन्होंने इस घटना की निन्दा नहीं की थी और इस घटना को लेकर पूरे देश के शोषित और दलित समाज के लोग इस बात को जान चुके हैं कि जनता दल का जो सामाजिक न्याय का नारा है, वह केवल खोखला नारा है, उसमें कोई बल नहीं है। हालांकि इनकी पार्टी के शरद यादव जी ने तो इस घटना की निन्दा की है, लेकिन मैं श्री राम बिलास पासवान से पूछना चाहती हूं कि क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वह इस घटना पर कुछ कहते ? वह सामाजिक न्याय का नारा जरूर देते हैं। वह सामाजिक न्याय का नारा कैसा है ? उनको यह सोचना चाहिये था कि मायावती मेरे समाज की लड़की है, हमारे समाज की बहन है, हमारे समाज की बेटी है और मानवता के नाते और मुनष्यता के नाते उनको संसद में इस पर बोलना चाहिये था। जो घटना राज्य अतिथि गृह में हुई है, वह किसी से छिपी नहीं है। जब उनको इसकी जानकारी मिली तो उनको इस पर अवश्य कुछ बोलना चाहिये था, लेकिन वह कुछ नहीं बोले और सामाजिक न्याय की बात करते हैं।

(व्यवधान)

मैं जनता दल के राष्ट्रीय नेता को बताना चाहती हूं कि जो उन्होंने सामाजिक न्याय का जो नारा लगाया है, वह बिल्कुल खोखला है। मेरी यह बात राष्ट्रीय जनता दल के नेता तक पहुंचानी चाहिये। आपकी पार्टी ने साम्प्रदायिकता को खत्म करने की बात तो कही है। मैं कहना चाहती हूं कि 1989 में जब जनता दल की सरकार बनी, तो इस समय आपने कहा था कि भारतीय जनता प्रार्टी ने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। 1989 में जनरल इलेक्शन हुआ, तो साम्प्रदायिकता को तथाकथित रूप से बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमें अनकन्डीशनल समर्थन दिया है, लेकिन आप तो घुलमिलकर चुनाव लड़े थे। आपने उत्तर प्रदेश में सरकार बनायी और केन्द्र में सरकार बनायी। उस समय मुख्य मंत्री कौन था ? उस समय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव थे। आपकी पार्टी ने उस समय भी सामाजिक न्याय का नारा लगाया। जब जनता दल की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब तो आप लोगों को किसी से न्याय मांगने की जरूरत नहीं थी, केन्द्र में आपकी सरकार थी।

मैं बताना चाहती हूं कि उस समय उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में पनवारी काण्ड में जाटव समाज के लोगों को अन्याय अत्याचार का शिकार बनना पड़ा। मैं उस समय बिजनौर से एम० पी० थी, मैं वहां से चुनकर आयी थी। मैं कहना चाहती हूं कि बेकसूर जाटव लोगों को मारा गया और राम बिलास पासवान उनको देखने तक नहीं गये। मैंने इस बारे में पार्लियामेन्ट में सवाल उठाया था। उस समय वी० पी० सिंह देश के प्रधान मंत्री थे और राम बिलास पासवान लेबर एन्ड वेलफेयर मिनिस्टर थे। उस समय वी० पी० सिंह सामाजिक न्याय का नारा लगाते तो, लेकिन हमने यह बात उस समय भी रखी थी कि आपकी उस समय क्या मजबूरी है कि आप इन लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे थे ? जहां तक सामाजिक न्याय का सवाल है इसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि जब तक इस देश में सामाजिक परिवर्तन नहीं आयेगा तब तक हम लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पायेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है।

जनता दल पार्टी के लोग केवल दलित, शोषित समाज के लोगों को गुमराह करने के लिये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। यदि आप लोगों को दलित, शोषित समाज के प्रति सच्ची आस्था है तो पहले सामाजिक परिवर्तन की बात करें। तभी यह लगेगा कि आप सही माने में दलित, शोषित

समाज के लोगों को न्याय देना चाहते हैं। उनके नजदीक ही कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे हैं। अभी हमारे भाई प्रमोद तिवारी जी, बावरी मस्जिद का जिक्र कर रहे थे कि बावरी मस्जिद के बारे में आपकी पार्टी का क्या दृष्टिकोण है ? मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहती हूं कि जहां तक विचारधारा का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा अलग है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। हर पार्टी की अपनी-अपनी विचारधारायें हैं। लेकिन उ० प्र० के अन्दर भाजपा ने हमको अनकन्डीशनल समर्थन दिया है। इससे आप लोग भी सहमत हैं। आप लोग भी इस बात से सहमत हैं कि किन परिस्थितियों में हमको अनकन्डीशनल समर्थन दिया गया है। उ० प्र० के अन्दर बड़े पैमाने पर अराजकता फैल गई थी, गरीबों, दलितों पर जुल्म ज्यादतियां हो रही थीं, मां बहिनों की अस्मत लूटी जा रही थी, कानून व्यवस्था चरमरा रही थी, गुण्डागर्दी, माफियागर्दी फैल रही थी। अभी रीसेन्टली जिला परिषद् के इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई। अधिकारियों के माध्यम से भी खरीद फरोख्त की गई। इतना ही नहीं जिस ब्यूरोक्रेसी को ईमानदारी से काम करना चाहिये था, उसको भी श्री मुलायम सिंह यादव ने भ्रष्ट बनाया।

आप सब लोगों ने मिलकर मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पद का भार सौंपा है, हमने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों से कहा है, और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आये हुए हैं, भाई श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी और डा० मुरली मनोहर जोशी जी, इनसे भी मैं बात करूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के चुस्ती से काम करने के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के मामले में न तो मैं बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को, न भाजपा के विधायकों की और न अन्य किसी की बात सुनूंगी। अधिकारियों की तैनाती कार्यकुशलता को देखकर की जायेगी।

(मेजों की थपथपाहट)

चाहे डी० एम० हों, चाहे आई० जी० हों, चाहे डी० आई० जी० हों, चाहे एस० एस० पी० हों कहीं भी बड़े ओहदों पर बैठे हुए अधिकारी हो मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं अधिकारियों के साथ मुलायम सिंह जी की तरह बर्ताव नहीं करूंगी। मैं जूनियर को ऊपर नहीं बिठाऊंगी, सीनियारिटी के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी को पूरा मौका दिया जायेगा जब ब्यूरोक्रेसी को सुचारु रूप से काम करने का मौका दिया जायेगा तो ब्यूरोक्रेसी भी उत्तर प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये जनता की मदद करेगी और तभी विकास का कार्य ठीक से हो सकेगा। जो विकास के कार्य लम्बे अर्से से चरमरा रहे थे। इसलिये जितने विधायक एवं नेतागण यहां मौजूद हैं, वह अधिकारियों के चयन के मामले में मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि यदि कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है तो मैं किसी पार्टी के एम० एल० ए० के कहने पर तबादला नहीं करूंगी। यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी जांच पड़ताल कराऊंगी। ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। यदि एक अधिकारी एक जिले में गलत काम रहा है और मैं उसका तबादला कर दूंगी तो वह दूसरे जिले में भी जाकर गलत काम करेगा। मैं उसकी जांच पड़ताल कराऊंगी और जांच में आरोप सही पाये गये तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

मैं मानीनय प्रमोद तिवारी जी को यह बताना चाहती हूं कि जहां तक विचारधारा का सवाल है, मैं उसी सवाल पर लौटकर आती हूं जो सवाल आपने मुझसे पूछा। आपने कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले में कि आपकी पार्टी का क्या दृष्टिकोण है यह बतायें ? हर पार्टी की अपनी-अपनी विचारधारा होती है। उत्तर प्रदेश के अन्दर जो अराजकता पैदा हो गयी थी, कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा रही थी, अन्याय अत्याचार बढ़ रहा था उसको रोकने के लिये भारतीय जनता पार्टी ने, हमको अनकंडीशनल

समर्थन दिया है। जहां तक विचारधारा का सवाल है भारतीय जनता पार्टी की अलग विचाराधारा है, बी० एस० पी० की अलग है, कांग्रेस की अलग है, जनता दल की अलग है। बाबरी मस्जिद के इशू पर भी हर पार्टी की अलग-अलग विचारधारायें हो सकतीं हैं। बाबरी मस्जिद के मामले में मैं आपको बताना चाहती हूं कि बहुजन समाज पार्टी का व्यू यह रहेगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट या अदालत सही मानेगी, वह अदालत का फैसला हमें मान्य होगा। (मेजों की थपथपाहट) भारत का संविधान सुप्रीम है, संविधान के तहत न्याय मिलेगा। (व्यवधान) जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूं कि पहली तारीख (1 जून, 1995) को जब बहुजन समाज पार्टी ने श्री मुलायम सिंह यादव से समर्थन वापस लिया। जहां तक इस बारे में कहा गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित सिक्ख, मुस्लिम, इसाई, पारसी व बुद्धिष्ट और उनमें से सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का हित बी० एस० पी० में सुरक्षित नहीं है तो इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि यदि श्री मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के इतने हितैषी थे तो दिसम्बर, 1993 के गठबंधन के तहत हुये चुनावों में उन्होंने मुसलमान भाइयों को अपनी पार्टी की ओर से ज्यादा टिकट क्यों नहीं दिये ? उस दौरान गठबंधन के तहत हुए सीटों के बंटवारे में यह फैसला किया गया था कि उत्तर प्रदेश में हम मुलायम सिंह यादव जी को चूंकि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाना चाहते थे इसलिये विधान सभा की ज्यादा सीटें उनको देनी चाहिये और हम लोगों को कम रखनी चाहिये।

हमारी दिलचस्पी उत्तर प्रदेश में नहीं थी। बी० एस० पी० की दिलचस्पी केन्द्र में थी। तो यह तय हुआ था कि 60% सीटें विधान सभा की मुलायम सिंह जी के लिये छोड़ दी जायेंगी और 40 % बी० एस० पी० के लिये रहेंगी लेकिन संसद में अनुपात इसका उल्टा हो जायेगा। जब लोक सभा का इलेक्शन आयेगा तो 60 % सीटें बी० एस० पी० के पास और 40% मुलायम सिंह जी के पास रहेंगीं। यह गठबंधन हुआ था। इस प्रकार उस दौरान उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में 40 प्रतिशत सीटें आयी थीं तो हमारे 67 एम० एल० ए० जीतकर आये, बाद में बाई इलेक्शन में और जीतकर आये इस प्रकार बाद में कुल मिलाकर 69 हो गये हैं। तब समाजवादी के 107 जीतकर आये, कांग्रेस के 28 जीतकर आये, जनता दल के 27 जीतकर आये, सी० पी० आई० के तीन जीतकर आये, जनता पार्टी के 1 जीतकर आये और निर्दलीय 8 जीतकर आये। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा 176 जीतकर आये थे। मुलायम सिंह यादव जी यह कहते हैं कि बी० एस० पी० मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं है तो मैं उनको यह बताना चाहती हूं कि चालीस प्रतिशत सीटें हमारी और साठ प्रतिशत सीटें उनकी थी। आगरा, मेरठ और मुरादाबाद कमिश्नरी में 112 एम० एल० ए० की सीटों में से गठबंधन के तहत 42 हमारे हिस्से में कुल सीटें आयी थी और इन 42 सीटों में से 21 टिकट हमने मुस्लिम भाइयों को दिये थे। इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर इतनी बड़ी तादाद में अन्य किसी पार्टी ने मुसलमानों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं दिये थे। हालांकि मैं इस बात को मानती हूं फतवे के कारण बी० एस० पी० का कोई भी नुमाइन्दा चुन कर नहीं आया था लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां फतवा नहीं हो पाया वहां इसका असर नहीं हुआ और वहां से मुसलमान चुनकर आये।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्योंकि फतवा लोगों तक पहुंच गया था, इसलिये इसका असर पड़ा फिर भी बी० एस० पी० के 67 एम० एल० एज० में से 12 मुसलमान चुनकर आये, समाजवादी पार्टी के 107 एम० एल० ए० में से 10 चुनकर आये, कांग्रेस के 28 में से 1 एम०एल० ए० मुसलमान चुनकर आया जनता दल के 27 में से 4 सी० पी० आई का 3 में से 1, जनता पार्टी से 1 मुसलमान प्रत्याशी चुनकर आया और वह ऐसा मुसलमान प्रत्याशी था जो पहले बी० एस० पी० का था लेकिन वह सीट सीटों के बंटवारे में मुलायम सिंह जी चली गयी थी तो फिर उसे निर्दलीय के रूप में लड़ना पड़ता

इसलिये वह जनता पार्टी के अध्यक्ष, डा० सुब्रह्मणियम स्वामी से मिला और जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीता । 8 निर्दलीय में से । मुसलमान चुनकर आया । भारतीय जनता पार्टी से उस समय मुसलमान नाराज थे अतः कोई भी मुसलमान प्रत्याशी उनका चुनकर नहीं आ पाया । तो इस तरह से जो इलेक्शन हुआ उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान बहुजन समाजवादी पार्टी से जीतकर आये । मान्यवर, मुलायम सिंह जी उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ने की भी बात करते हैं । मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि 1989 में जब मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे और जनता दल की सरकार थी तो उस समय उन्होंने मुसलमानों की वकालत क्यों नहीं की ? उस समय उर्दू को रोजी-रोटी से क्यों नहीं जोड़ा गया ? इस बार उन्होंने उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ा था तो वह सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी के दबाव के कारण जोड़ा था । मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये, जो उत्तर प्रदेश में एट्रोसीटीज बढ़ रही थी उसको रोकने के लिये, अराजकता को समाप्त करने के लिये, गुण्डा गर्दी को माफियागर्दी और खास तौर पर दलितों, शोषितों, पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिये समर्थन एवं सहयोग दिया है ।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने हमें अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, उसके लिये मैं सबसे ज्यादा आपका आभार प्रकट करती हूं । समाजवादी पार्टी के जिन लोगों ने लोकतांत्रिक समाजवादी फ्रन्ट बनाकर हमें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने और गुण्डागर्दी रोकने के लिये जो समर्थन दिया है उसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं । और माननीय श्री नरसिम्हा राव जी, जो हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं उनका भी आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने इस मामले में दखल नहीं दिया और गवर्नर साहब से कहा कि आप भारत के संविधान के तहत काम करें । मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने भारत के संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखा । मैं इस मौके पर गवर्नर साहब को भी हार्दिक रूप से शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि जिस तरह से धनीराम वर्मा ने भारत के संविधान को तोड़ा और जिस संविधान को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेदकर ने बनाया, उस संविधान की रक्षा के लिये गवर्नर साहब ने अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए इसकी रक्षा की । भारत की संविधान के तहत आज जो कुछ भी यहां शान्तिमय ढंग से कार्यवाही चल रही है, उसका पूरा श्रेय गवर्नर साहब को जाता है, जिन्होंने भारत के संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखकर एक उचित फैसला किया । मैं बहुत अधिक लम्बी चौड़ी बात न कहते हुए आप सब लोगों से विश्वास मत प्राप्ति की उम्मीद करती हूं और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं, धन्यवाद ।

सदन द्वारा मंत्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त किये जाने के प्रस्ताव पर मतदान

कार्यवाहक अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण, सदन की लाबीज में विभाजन सूची में हस्ताक्षर द्वारा मत विभाजन की प्रक्रिया को मैं पढ़कर सुना रहा हूं । आप लोग शान्तिपूर्वक उस प्रक्रिया को सुनें ।

सदन के सभा कक्षों (लाबीज) में जाकर लिखित विभाजन की प्रक्रिया के बारे में मैं आप सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा । सदन की "हां" व "नहीं" लाबी में विभाजन सूची रखी गयी है, उस पर माननीय सदस्यगण अपने नाम के सामने स्पष्ट हस्ताक्षर करेंगे और उसके आधार पर मत विभाजन होगा । प्रस्ताव के पक्ष में मत देने वाले माननीय सदस्य "हां" लाबी में जाकर विभाजन सूची में हस्ताक्षर करके अपना मत अंकित करेंगे और उसके विरोध में मत देने वाले माननीय सदस्य "नहीं" लाबी में जाकर मत विभाजन सूची में अपने हस्ताक्षर करके अपना मत अंकित करेंगे ।

विभाजन के पूर्व ऐसे सभी व्यक्ति जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं, (मंत्रि-परिषद् के सदस्यों एवं महाधिवक्ता को छोड़कर) सभा मंडप एवं उसकी दोनों लाबियों से बाहर चले जायेंगे ।

सभा मंडप में एवं उनकी दोनों लाबियों में विधान सभा सचिवालय के वही अधिकारी/कर्मचारी विभाजन के समय रह सकेंगे, जिनकी सदन के कार्य हेतु ड्यूटी लगाई गई है, मत विभाजन के लिये 5 मिनट तक घन्टी बजाई जायेगी, घन्टी बन्द होने पर सदन के बाहरी दरवाजे बन्द कर दिये जायेंगे । तत्पश्चात् विचाराधीन प्रस्ताव के पक्ष में जो माननीय सदस्य मतदान करना चाहें, वह कृपया हमारे दांयी एवं बायीं ओर की "हां" एवं "नहीं" लाबी में जायेंगे और पहले बतलाई गई रीति के अनुसार विभाजन सूची में अपने नाम के सामने स्पष्ट हस्ताक्षर करके पुनः सदन में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे । दोनों सदनों में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी विभाजन सूची पर हस्ताक्षर करने वाले माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर को सत्यापित करेंगे । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह लाबी में तैनात अधिकारियों को अपना परिचय-पत्र अवश्य दिखला दें । यदि वह अपना परिचय-पत्र लाना भूल गये हों तो अपने परिचय का समाधान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को अवश्य करा दें, ताकि उनके हस्ताक्षर को सत्यापित करने में कोई असुविधा न हो ।

जो माननीय सदस्य लाबियों में अपने हस्ताक्षर कर लें वह पुनः सदन में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें और दूसरी लाबी में कदापि न जायें । सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लाबियों में मत विभाजन को प्रभावित करने का प्रयास न करें ।

मत विभाजन की प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व सभा मंडप के सभी प्रवेश द्वार तब तक के लिये बन्द कर दिये जायेंगे, जब तक विभाजन का परिणाम घोषित न कर दिया जाये ।

मत विभाजन के लिये घण्टी बजायी जाये ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

मान्यवर, पहले प्रश्न उपस्थित करिये ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण, जो प्रक्रिया है अभी घण्टी बज जायेगी उसके बाद दरवाजे बन्द होंगे तब प्रश्न उपस्थित करूंगा । उसके बाद आप लोग "हां" या "नहीं" लाबी में जाकर अपना मत देंगे ।

सभा मण्डप के सभी दरवाजे मत विभाजन के परिणाम घोषित होने तक बन्द कर दिये जायेंगे ।

अब मैं पूर्व घोषित प्रक्रिया के तहत मत विभाजन का कार्य आरम्भ करता हूं ।

(लगातार 5 मिनट घंटी बजने के उपरान्त सभा-मण्डप के सभी मुख्य द्वार बन्द कर दिये गये ।)

प्रश्न यह है कि "यह सदन मंत्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है ? अब जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों वह "हां" लाबी में जाकर उक्त रूप में बताये गये प्रक्रिया के अनुसार अपना मत व्यक्त करें । इसी तरह से जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विरोध में हों, वह "नहीं" लाबी में जाकर उक्त रूप में अभी बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार मत व्यक्त करें ।

(समय 5 बजकर 5 मिनट)

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि सदन चल रहा है, सदन की कार्यवाही में आप सम्मिलित हैं तो आप सभी आंदरणीय सदस्यगण से अनुरोध है कि अपना आसन ग्रहण करें, और बैठे रहें । माननीय सदन की जो गरिमा है उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग अपना आचरण संयमित रखें ।

जो माननीय सदस्य अभी अपना अभिमत अंकित करने नहीं गये हैं, उन सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाबीज में जाकर अपना अभिमत अंकित कर आयें।

माननीय सदस्यों को मैं सूचना देना चाहता हूं कि मत विभाजन का कार्य पूरा हो गया है। मतगणना की जा रही है। मत विभाजन के परिणाम की प्रतीक्षा माननीय सदस्यगण कृपया शान्तिपूर्वक करें।

अब मैं मत विभाजन का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

मंत्रि-परिषद् में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान

प्रस्ताव के पक्ष में–249

1–अंगद यादव, श्री
2–अकबर अली, श्री
3–अक्षयवर लाल, श्री
4–अक्षयवर भारती, श्री
5–अजय कुमार पोइया, श्री
6–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री
7–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री
8–अमरनाथ यादव, श्री
9–अमित अग्रवाल, श्री
10–अम्बिका सिंह, श्री
11–अरविन्द कुमार, श्री
12–अवध पाल सिंह यादव, श्री
13–अवनीश कुमार सिंह, श्री
14–आनन्द यादव, श्री
15–आर० के० चौधरी, श्री
16–इन्द्र देव सिंह, श्री
17–इन्द्र भद्र सिंह, श्री
18–इरशाद, श्री
19–इश्तियाक अंसारी, श्री
20–उदय प्रकाश, श्री
21–उदय भान सिंह, श्री
22–उपदेश सिंह चौहान, श्री
23–उर्मिला राजपूत, श्रीमती
24–ओंकार सिंह, श्री
25–ओम प्रकाश सिंह, श्री
26–कल्याण सिंह, श्री
27–किशन लाल, श्री
28–किशन लाल दिलेर, श्री
29–कृष्ण कुमार नवमान, श्री
30–कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री
31–केदार सिंह फोनिया, श्री
32–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
33–गनपत सिंह, श्री
34–गया चरण दिनकर, श्री
35–गरीश नारायण पाण्डेय, श्री
36–गोपाल काली, श्री
37–घनश्याम शुक्ल, श्री
38–घूरा राम, श्री
39–चन्द्र किशोर, श्री
40–चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू, श्री
41–चन्द्र मणि कान्त, श्री
42–चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री
43–चन्द्र शेखर, श्री
44–चन्द्र शेखर सिंह, श्री
45–चरन सिंह, श्री
46–चैनसुख भारती, श्री
47–छब्बू पटेल, श्री
48–छोटे लाल, श्री
49–छोटे लाल वर्मा, श्री
50–जगत सिंह, श्री
51–जगदम्बा सिंह, श्री
52–जगदीश मुनि, श्री
53–जगन्नाथ प्रसाद, श्री
54–जगरनाथ चौधरी, श्री
55–जगवीर सिंह, श्री

56–जमुना प्रसाद मिश्र, श्री
57–जयपाल सिंह, श्री
58–जय प्रताप सिंह, श्री
59–जयराम कुशवाहा, श्री
60–जवाहर लाल दिवाकर, श्री
61–जितेन्द्र कुमार जायसवाल
उर्फ पप्पू भइया, श्री
62–ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती
63–तिलक राज बेहड़, श्री
64–तीरथ राज, श्री
65–तुलसीदास राय चन्दानी, श्री
66–तुलाराम सैनी, श्री
67–तेजपाल सिंह, श्री (बिजनौर)
68–तेजपाल सिंह पंवार, श्री
69–तेज भान सिंह, श्री
70–त्रिपाल सिंह धामा, श्री
71–दया सिन्धु शंखधार, श्री
72–दल बहादुर कोरी, श्री
73–दीनानाथ भाष्कर, श्री
74–देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री
75–दौलत राम, श्री
76–धनराज यादव, श्री
77–धामू राम भाष्कर, श्री
78–धूराम चौधरी, श्री
79–नजमउद्दीन, श्री
80–नन्द किशोर मिश्र, श्री
81–नन्द लाल सिंह पटेल, एडवोकेट, श्री
82–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०
83–नरेन्द्र सिंह, श्री (मैनपुरी)
84–नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री
85–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री
86–नवल किशोर, श्री
87–नसीम भाई, श्री
88–नीरज चतुर्वेदी, श्री
89–पीतम सिंह, श्री
90–पृथ्वी सिंह विकसित, श्री
91–प्रणत पाल सिंह, श्री
92–प्रवीण सिंह ऐरन, श्री
93–प्रीतम सिंह, श्री (मुरादाबाद)
94–प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री
95–प्रेम लता कटियार, श्रीमती
96–प्रेम सिंह, श्री
97–फजलुर्रहमान अंसारी, श्री
98–फौजदार प्रसाद, श्री
99–बंशीधर, श्री
100–बचनू राम पटेल, श्री
101–बच्ची सिंह रावत, श्री
102–बदन सिंह, श्री
103–बनवारी लाल दोहरे, श्री
104–बशीर उद्दीन, श्री
105–बाबू लाल, श्री
106–बाल गोविन्द राजवंशी, श्री
107–बाल चन्द्र मिश्र, श्री
108–बालेश्वर त्यागी, श्री
109–बावन सिंह, श्री
110–बी० के० गुप्ता, श्री
111–बेचन राम, श्री
112–बैजनाथ रावत, श्री
113–ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
114–भगवत शरण गंगवार, श्री
115–भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
116–भगवती प्रसाद सागर, श्री
117–भगेलू राम, श्री
118–भागवत पाल, श्री
119–भैरो प्रसाद मिश्र, श्री
120–मण्डलेश्वर सिंह, श्री
121–मन्नू लाल कुरील, श्री
122–मयंकर सिंह, श्री
123–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री
124–महाबीर सिंह, श्री
125–महाबीर सिंह, कुंवर
126–महेन्द्र पाल सिंह, श्री
127–महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
128–महेश चन्द्र, श्री
129–मातवर सिंह कण्डारी, श्री
130–माम चन्द्र लाम्बा उर्फ मेमचन्द्र, डा०
131–माया शंकर पाठक, श्री

132–मारकण्डेय सिंह, श्री
133–मुनीश गौड़, श्री
134–मुरलीधर, श्री
135–मेवा लाल बागी, श्री
136–मोलई, श्री
137–मोहर सिंह, श्री
138–यश पाल आर्य, श्री
139–योगेन्द्र सागर, श्री
140–रंगनाथ मिश्र, श्री
141–रघुराज प्रताप सिंह
उर्फ राजा भइया, कुंवर
142–रणधीर सिंह, श्री
143–रतन लाल अहिरवार, श्री
144–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री
145–रमापति शास्त्री, श्री
146–रमेश कान्त लवानियां, श्री
147–रमेश पोखरियाल ''निशंक'', डा०
148–रमेश बहादुर, श्री
149–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर
150–रवीन्द्र प्रताप चौधरी
उर्फ पप्पू चौधरी, श्री
151–रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री
152–रवीन्द्र शुक्ल, श्री
153–राकेश सोनकर, श्री
154–राजकुमार शिवहरे, श्री
155–राजबली जैसल, श्री
156–राजबली यादव, श्री
157–राज लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती
158–राजबीर सिंह, श्री
159–राजा राम त्यागी, श्री
160–राजीव कुमार, श्री
161–राजेन्द्र कुमार, श्री
162–राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
163–राजेन्द्र सिंह, श्री (देहरादून)
164–राजेन्द्र सिंह, श्री (बिजनौर)
165–राजेश अग्रवाल, श्री
166–राजेश कुमार, श्री
167–राधेश्याम गुप्ता, श्री
168–रानी देव लता, श्रीमती
169–राम अचल राजभर, श्री
170–राम किशोर बिन्द, श्री
171–राम कुमार वर्मा, श्री
172–राम कुमार शुक्ल, श्री
173–राम कृष्ण वर्मा, इंजी०
174–राम खेलावन, श्री
175–राम गोपाल, श्री
176–राम जीत भारद्वाज, श्री
177–राम दवर, श्री
178–राम देव पटेल, श्री
179–राम पाल सिंह, श्री
180–राम प्रकाश, श्री
181–राम प्रकाश गुप्त, श्री
182–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
183–राम प्रताप सिंह, श्री
184–राम प्रसाद, श्री (बुलन्दशहर)
185–राम बाबू हरित, डा०
186–राम लखन वर्मा, श्री
187–राम लोटन सिंह पटेल, इन्जी०
188–राम सजीवन निर्मल, श्री
189–राम सरन वर्मा, श्री
190–राम सिंह, श्री
191–राम सेवक सिंह, श्री (इलाहाबाद)
192–राम सेवक सिंह, श्री (बदायूं)
193–राम स्वरूप, श्री
194–राम स्वरूप शर्मा, स्वामी
195–रेखा छागला, श्रीमती
196–लक्ष्मी चन्द्र, श्री
197–लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
उर्फ गुरू जी, श्री
198–लल्लू सिंह, श्री
199–लाज कृष्ण गांधी, श्री
200–लालजी, श्री
201–लालजी यादव उर्फ जोगी, श्री
202–लालमणि प्रसाद, श्री
203–वासुदेव सिंह, श्री
204–विजेन्द्र सिंह, श्री

205–विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री
206–विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री
207–विश्वम्भर सिंह, श्री
208–वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री
209–शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती
210–शशि बाला भारती, श्रीमती
211–शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
212–शिव दानी, श्री
213–शिव प्रताप शुक्ला, श्री
214–शिव बहादुर सक्सेना, श्री
215–शिव राम सिंह कुशवाहा, श्री
216–शिवेन्द्र, श्री
217–श्याम देव राय चौधरी, 'दादा'
218–श्रीराम पाल, श्री
219–श्रीराम, श्री
220–संदीप अग्रवाल, श्री
221–सज्जन पाल सिंह
उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री
222–सतीश महाना, श्री
223–सत्य प्रकाश, श्री
224–सत्य प्रकाश विकल, श्री
225–सत्येन्द्र सिंह, श्री
226–सफदर रजा खां, श्री
227–समई, श्री
228–सरजीत सिंह डंग, डा०
229–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री
230–सुखदेव, श्री
231–सुधीर कुमार बालियान, श्री
232–सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
233–सुन्दर लाल लोधी, श्री
234–सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री
235–सुरेश कुमार खन्ना, श्री
236–सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री
237–सुरेश प्रताप सिंह चौहान, डा०
238–सुरेश संगल, श्री
239–सुशीला सरोज, श्रीमती
240–सूरज सिंह शाक्य, श्री
241–स्वयंवर चौधरी, श्री
242–हरक सिंह रावत, श्री
243–हरपाल सिंह, श्री
244–हरवंश कपूर, श्री
245–हरी किशन, श्री
246–हरी शंकर माहौर, श्री
247–हीरा मनि पटेल, श्री
248–हृदय नारायण, श्री
249–फ्रेन्सिस डब्लू मूर, श्री (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)

प्रस्ताव के विपक्ष में शून्य†

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण इस आदरणीय सदन की अध्यक्ष पीठ की गरिमा को ध्यान में रखकर मैंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। जो परिणाम प्राप्त हुआ है, प्रस्ताव के पक्ष में 249 मत पड़े और प्रस्ताव के विरोध में शून्य मत पड़े। पक्ष में प्रस्ताव के विरोध से अधिक मत पड़े अतएव मंत्रि-परिषद में विश्वास का मत परित हुआ।

संसदीय परम्पराओं के निर्वहन हेतु श्री राज्यपाल के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, श्री मोती लाल वोरा, जिन्होंने संविधान की मान्यताओं, लोकतन्त्र के मूल्यों एवं स्वस्थ परम्पराओं की रक्षा

† समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्यगण सदन का बहिष्कार किये।

के लिए जो विधि सम्मत निर्णय लिया, उसके लिए सदन उनके प्रति सम्मान के साथ अपना आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त करता है।

श्री कल्याण सिंह–

नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद देने के लिए, कृतज्ञता व आभार व्यक्त करने के लिए सदन की ओर से मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

नेता सदन ने, मुख्य मंत्री ने (व्यवधान) सम्मानित सदस्यों को यह नहीं मालूम कि जो मुख्य मंत्री हो और जिस मुख्य मंत्री को सदन का विश्वास प्राप्त होना हो, जिसे प्रबल विश्वास दे दिया हो, उसकी कानूनी स्थिति में फर्क होता है। तो सदन का प्रस्ताव, माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्यपाल महोदय के प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं और मेरा कांग्रेस विधान मण्डल दल पूरी तरह से समर्थन करता है।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल जी के प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है विश्वास मत हासिल करने के बाद मैं और मेरा दल इसका समर्थन करता है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आदरणीय नेता सदन और माननीया मुख्य मंत्री सुश्री मायावती ने श्री राज्यपाल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका अपने समूह की तरफ से समर्थन करता हूं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मोती लाल वोरा जिन्होंने संविधान की मान्यताओं, लोकतन्त्र के मूल्यों एवं स्वस्थ परम्पराओं की रक्षा के लिए जो विधि सम्मत निर्णय लिया, उसके लिए सदन उनके प्रति सम्मान के साथ अपना आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

वर्तमान विशेष सत्र के दौरान ग्राह्य किये गये प्रश्नों के सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत न होने के संबंध में प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को निलम्बित करते हुए सदस्यों के वे प्रश्न जो ग्राह्य किये गये हों, वर्तमान विशेष सत्र के सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत न हों।

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

मान्यवर, मैं इसका समर्थन करती हूं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को निलम्बित करते हुए सदस्यों के वे प्रश्न जो ग्राह्य किये गये हों, वर्तमान विशेष सत्र के सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत न हों।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए कार्य-मंत्रणा समिति एवं अधिष्ठाता मण्डल के पुनर्गठन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाने का संकल्प की सूचना दिनांक 4 जून, 1995 को प्राप्त हो जाने के उपरान्त उसके द्वारा ही चूंकि मान्य संसदीय परम्पराओं की अवहेलना करके बिना सन्दर्भ के विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श किये बिना वित्तीय वर्ष 1995-96 की कार्य-मंत्रणा समिति तथा अधिष्ठाता मण्डल का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों का समुचित प्रतिनिधित्व भी नहीं रखा गया, अतः उनके इन कृत्यों के परिप्रेक्ष्य में यह सदन उनके द्वारा गठित उक्त कार्य-मंत्रणा समिति तथा अधिष्ठाता मण्डल को प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के सभी संगत नियमों को निलम्बित करते हुए भंग करता है और यह निर्देश देता है कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए कार्य मंत्रणा समिति एवं अधिष्ठाता मण्डल का पुनर्गठन किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, का मैं समर्थन करता हूं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, श्री धनीराम वर्मा को उनके पद से हटाने का संकल्प की सूचना दिनांक 4 जून, 1995 को प्राप्त हो जाने के उपरान्त उसके द्वारा ही चूंकि मान्य संसदीय परम्पराओं की अवहेलना करके बिना सन्दर्भ के विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श किये बिना वित्तीय वर्ष 1995-96 की कार्य-मंत्रणा समिति तथा अधिष्ठाता मण्डल का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों का समुचित प्रतिनिधित्व भी नहीं रखा गया, अतः उनके इन कृत्यों के परिप्रेक्ष्य में यह सदन उनके द्वारा गठित उक्त कार्य-मंत्रणा समिति तथा अधिष्ठाता मण्डल को प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के सभी संगत नियमों को निलम्बित करते हुए भंग करता है और यह निर्देश देता है कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए कार्य-मंत्रणा समिति एवं अधिष्ठाता मण्डल का पुनर्गठन किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

सदन के अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाय ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, का मैं समर्थन करता हूं।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अब हम लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे।

जन-गण-मन अधिनायक जय है।
भारत भाग्य विधाता ॥
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा।
द्राविड़ उत्कल बंग ॥
विंध्य हिमांचल यमुना-गंगा।
उच्छल जलधि तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तव जय गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता ॥
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे ॥

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गयी।)

(इसके बाद सदन 5 बजकर 40 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
20 जून, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०–एल० 91 विधान सभा (208)–1995–813 (डी० टी० पी०)।